PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

फरवरी 2020 | अंक-1

ब्रू शरणार्थी समझौता

सफल क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

- ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट 2020 : एक विश्लेषण
- वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एवं भारत : एक अवलोकन
- आईएनएफ संधि की समाप्ति से हथियारों की होड़ संभव
- मृत्यु दण्ड : अंतहीन उपचार की उपलब्धता?
- रोहिंग्या समुदाय पर आईसीजे के निर्णय का निहितार्थ
- भारत में बालिकाओं की दशा : सुधार की आवश्यकता

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME 2020

OUR EMINENT PANELISTS

Mr. S.Y QURAISHI
Ex. CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Mr .VIVEK KATJU
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. SHASHANK
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. N.C. SAXENA
Ex. SECRETARY, GOVT. OF INDIA

Mr. NOOR MOHAMMED
IAS TOPPER 77 BATCH
Ex. ELECTION COMMISSIONER
Ex. VICE CHANCELLOR (AMU)

Mrs. MEERA SHANKER
FORMER AMBASSADOR

Mr. MANJEET SINGH
RETD. IAS
Ex. SECRETARY FINANCE, HOME

Mr. AJAY SHANKER
RETD. IAS

Mr. VIKRAM SINGH
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. VIBHUTI NARAIN RAI
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. S.K. MISRA
RETD. IRS, Ex. MEMBER REVENUE BOARD

Mr. A.H.K GHAURI
Ex. GOVERNANCE ADVISOR, BRITISH HIGH COMMISSION

Mr. C. UDAY BHASKAR
DEFENCE & STRATEGIC ANALYST

Mr. QAMAR AGHA
WIDELY ACCLAIMED SR. JOURNALIST

PROF. ARUN KUMAR
ECONOMIST

PROF. C.K. VARSHNEY
FORMER DEAN OF SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (JNU)

STARTING FROM 1ST FEB 2020

Salient Features:

- 5 Members Board Mock Videos
- Content Booklets: Current Affairs, Questionnaire, Hobbies, Different States

PRIOR REGISTRATION IS MANDATORY 011-49274400

25B, 2nd Floor, Metro Pillar No. 117, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, New Delhi
A 12, 13, 201 2nd Floor, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Send your DAF to dhyeyaonline@dhyeyaias.com

9205274744 / 9205274743

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकार के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

Certificate of Excellence

EDUCATION EXCELLENCE AWARDS
2015

In recognition of Significant Contribution made by

ध्येय IAS

Fast Emerging Civil Services
Coaching Classes Chain in India

S.K. Sahu
SK Sahu
Director

Brands Academy

THE TIMES GROUP

Excellence in Education

Certificate of Excellence

Certificate awarded to

Dhyeya IAS

represented by Mr. Vinay Singh

for their contribution in the field of education by

Shri Ram Naik

Hon'ble Governor of Uttar Pradesh

on 27th June, 2015 at Lucknow

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

फरवरी-2020 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- ब्रू शरणार्थी समझौता : सफल क्रियान्वयन की चुनौतियाँ
- ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट 2020 : एक विश्लेषण
- वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एवं भारत : एक अवलोकन
- आईएनएफ संधि की समाप्ति से हथियारों की होड़ संभव
- मृत्यु दण्ड : अंतहीन उपचार की उपलब्धता?
- रोहिंग्या समुदाय पर आईसीजे के निर्णय का निहितार्थ
- भारत में बालिकाओं की दशा : सुधार की आवश्यकता

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. ब्रू शरणार्थी समझौता : सफल क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'ब्रू शरणार्थियों' को त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाने के लिए त्रिपुरा, मिजोरम और "ब्रू रियांग" प्रतिनिधियों के बीच चतुर्पक्षीय समझौता किया है।

समझौते के मुख्य बिंदु

- नए समझौते के अनुसार, लगभग 35,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इनके पुनर्वास में मदद करने के लिये सहायता दी जाएगी।
- इस समझौते के मुताबिक अब केंद्र सरकार विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 40×30 वर्ग फीट की आवासीय प्लॉट देगा साथ ही घर बनाने के लिए इन्हें जगह और डेढ़ लाख रुपये की मदद देगी।
- गौरतलब है कि नवंबर, 2019 में त्रिपुरा सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये स्वीकृति प्रदान की थी।
- वर्ष 2018 में हुए समझौते के अनुसार, ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम में बसाया गया था जबकि नए समझौते के अनुसार अब इन्हें त्रिपुरा में बसाया जाएगा।
- नए समझौते के अनुसार, ब्रू समुदाय के प्रत्येक परिवार को कृषि भूमि के पट्टों के अलावा व्यक्तिगत भू-खंड भी आवंटित किये जाएंगे।
- प्रत्येक व्यक्तिगत भू-खंड 2,500 वर्ग फीट का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को आजीविका हेतु प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद तथा अगले दो वर्षों तक नि:शुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
- ब्रू समुदाय को त्रिपुरा की मतदाता सूची में भी सम्मिलित किया जाएगा।

इस समझौते से लाभ

- इस समझौते से लगभग 23 वर्षों से चली आ रही मानवीय समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकेगा।
- इस समझौते से दो राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम के बीच विवाद का अंत हो जाएगा।
- इस समझौते से इन शरणार्थियों को सभी अधिकार प्राप्त होंगे जिससे इनका बहुमुखी विकास होगा साथ ही ये समुदाय विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे।
- इस समझौते से इन शरणार्थियों को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- इस समझौते से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित होगी जिससे इन राज्यों के विकास का मार्ग भी खुलेगा।

ब्रू जनजाति कौन हैं

ब्रू जनजातियों को रियांग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि गृह मंत्रालय ने चेंचू, बोडो, गरबा, असुर, कोतवाल, बैगा, बोंदो, मारम नागा, सौरा जैसे 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, रियांग उनमें से एक हैं। "ब्रू" पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजाति समूह है। मिजोरम के अधिकांश 'ब्रू' जनजाति के लोग मामित और कोलासिब जिलों में रहते हैं। पूर्व में "ब्रू" जनजातियों का त्रिपुरा में विस्थापन हुआ था। ये जनजाति "ब्रू" भाषा बोलती हैं, इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। "ब्रू" जनजाति के अन्तर्गत अनेक उपजातियाँ आती हैं। "ब्रू" पहले झूम कृषि करते थे, जिसमें ये जंगल के एक हिस्से को साफ करके वहाँ कृषि करते थे। कुछ वर्षों बाद ये उस भूमि को छोड़कर जंगल के दूसरे भाग में कृषि करने चले जाते थे। अत: इसे एक बंजारा जनजाति भी माना जाता है।

पूर्वोत्तर की अन्य जनजातियों की तरह रियांग जनजाति के लोगों की शक्ल भी मंगोलों से मिलती-जुलती है। त्रिपुरी के बाद यह त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रियांग जनजाति मुख्यत: दो बड़े गुटों में विभाजित हैं- मेस्का और मोलसोई।

ब्रू समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

यह मुख्यत: कृषि पर निर्भर रहने वाली जनजाति है। ये पहले झूम की खेती करते थे। लेकिन अब वे खेती के आधुनिक तौर-तरीके अपना रहे हैं।

जीके घोष की पुस्तक 'इंडियन टेक्सटाइल-पास्ट ऐंड प्रजेंट' के मुताबिक इस समुदाय की महिलाएं बुनाई का काम करती हैं। हालांकि, ये कुछ गिने चुने कपड़े ही बुनती हैं जो इस समुदाय के लोगों के तन को ढकने के काम आती हैं। महिलाएं जो परिधान बुनती हैं उनके नाम रिनाई (Rinai), रिसा (Risa), बासेई (Basei), पानद्री (Pandri), कुताई (Kutai), रिकातु (Rikatu), बाकी (Baki), कामचाई (Kamchai) इत्यादि हैं।

ब्रू और मिजो समुदाय के बीच संघर्ष

- ब्रू समुदाय का आवासीय क्षेत्र भारत में मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में चटगाँव पहाड़ी के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- "ब्रू" जनजाति के मिजोरम से त्रिपुरा प्रवास का कारण मिजो जनजाति का "ब्रू" जनजाति को बाहरी जनजाति समझना और उनके साथ हिंसा करना माना जाता है।
- सामान्यत: पूर्वोत्तर में लोग अपनी जातीय पहचान जैसे- खान-पान, पहनावा और भाषा को लेकर बहुत भावुक होते हैं। जातीय

पहचान को मुद्दा बनाकर वहाँ लोग अलग राष्ट्र की मांग करते आये हैं। मिजो उग्रवादी समूहों द्वारा भी इस प्रकार की मांग की गई परन्तु जब ऐसा होने की संभावना दूर नजर आने लगी तो मिजो उग्रवादी समूहों ने उन जनजातियों को अपना निशाना बनाया, जिन्हें वो बाहरी समझते थे।

- वर्ष 1995 में "ब्रू" और "मिजो" जनजातियों के मध्य टकराव बढ़ने के बाद यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने "ब्रू" जनजाति को बाहरी घोषित कर दिया। इसके पश्चात् "ब्रू" जनजाति मिजो जनजाति के निशाने पर आ गई।
- वर्ष 1997 में ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (Bru National Liberation Front) के एक सदस्य के द्वारा एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही क्षेत्र में "ब्रू" लोगों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा हुई, जिसके पश्चात् "ब्रू" जनजाति को मिजोरम छोड़कर त्रिपुरा भागना पड़ा। विदित हो कि ब्रू समुदाय के लोग पिछले 23 वर्षों से उत्तरी त्रिपुरी के कंचनपुर प्रखंड में स्थायी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

ब्रू जनजाति की पूर्व में क्या चिंताएँ थीं

- 'ब्रू' लोगों के समक्ष सबसे बड़ी मांग सुरक्षा की है। सरकार के द्वारा उन्हें सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया जा रहा है परन्तु "ब्रू" लोग आश्वस्त नहीं थे।
- ब्रू लोगों की एक ही स्थान पर बसने की मांग है वे अपने मंदिर, खेतों के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं जिसे मिजोरम सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।
- ब्रू जनजाति को मूलस्थान प्रत्यावर्तन के लिए आधारभूत वस्तुओं (भोजन, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) की आवश्यकता थी जो उन तक नही पहुँच पाती थी।
- "ब्रू" लोगों द्वारा मिजोरम में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई थी। जिसे मिजोरम सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

ब्रू समुदाय के लिए सरकार द्वारा पूर्व में किए गये प्रयास

- 1997 में मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित होने के बाद से ही भारत सरकार ब्रू-शरणार्थियों के लिए स्थायी पुनर्वास के प्रयास करने में लगी रही है।

- "ब्रू" जनजाति की वापसी के लिए केंद्र सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के मध्य कई दौर की बातचीत हुई है। वर्ष 2010 में पहली बार लगभग 1600 परिवारों के साढ़े आठ हजार ब्रू लोगों को वापस मिजोरम बसाया गया लेकिन मिजो समूहों के विरोध के पश्चात इस पर आगे कार्य नहीं हो सका।
- वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा एक समझौते का ऐलान किया गया जिसमें केन्द्र सरकार, मिजोरम सरकार और मिजोरम "ब्रू" डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (MBDPF) सम्मिलित थे। इसमें 5,407 ब्रू परिवारों के 32, 876 लोगों के लिए 435 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई थी।
- इसके साथ ही हर "बू" परिवार को 4 लाख रुपये की एफडी, 1-5 लाख रुपये घर बसाने के लिए, 2 साल के लिए निःशुल्क राशन और हर महीने 5 हजार रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा से मिजोरम जाने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई के लिए एकलव्य स्कूल तथा वोट देने का अधिकार भी देने की बात की गई थी। परंतु यह समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो सका क्योंकि विस्थापित ब्रू-परिवारों ने मिजोरम वापस जाने से इनकार कर दिया था।

वर्तमान स्थिति

- केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत प्रत्येक व्यस्क ब्रू प्रवासी को 300 ग्राम तथा प्रत्येक नाबालिग को 300 ग्राम से कम चावल दैनिक राशन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नमक भी दिया जाता है। नकद रूप में प्रत्येक वयस्क को 5 रुपये तथा प्रत्येक छोटे व्यक्ति को 2.25 रुपये का धन आवंटित किया जाता है।
- अपने स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए ये शरणार्थी दैनिक रूप से प्राप्त होने वाले चावल का एक हिस्सा बेच देते हैं इससे जो धन प्राप्त होता है उससे दवाईयाँ खरीदते हैं।
- सब्जियों की प्राप्ति के लिए ये समुदाय जंगल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश झूम कृषि ही करते हैं।
- ये समुदाय मूलभूत आवश्यकताएँ, जैसे- बिजली की पहुँच, स्वच्छ पेयजल, उचित स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। इसके अलावा ब्रू शरणार्थियों के बच्चों को स्कूल की सुविधा नहीं मिल पाती है। ब्रू समुदायों की आवास की समस्या भी महत्वपूर्ण है। शरणार्थी होने की वजह से बांस से तैयार नक्काशीदार झोपड़ियों में ये रहते हैं।

चुनौतियाँ

ब्रू समुदायों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं, किंतु कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे-

- इनके लिए आवंटित 600 करोड़ रुपये का पैकेज अपर्याप्त है क्योंकि जिस तरह की हालात में ये समुदाय जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो काफी दयनीय है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों और विभिन्न समूहों के कार्यकर्ताओं के अनुसार ब्रू आदिवासियों को मिजोरम के बजाए त्रिपुरा बसाने के कार्यक्रम से पूर्वोत्तर के राज्यों में जातिगत राज्यों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इन समुदायों का पुनर्वास एक गलत परंपरा का निर्माण करेगा।
- अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से मूल निवासियों और ब्रू जनजातियों में संघर्ष की स्थिति और मजबूत होगी। ज्ञातव्य है कि पहले से ही इनमें संघर्ष देखने को मिला है।
- पूर्वोत्तर में जातीय संघर्षों का एक लम्बा इतिहास रहा है जिसमें न केवल स्वदेशी समुदायों बल्कि बाहर से बसने वालों के मध्य भी संघर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा संघर्ष की स्थिति अंतर जनजातियों के भीतर छोटे उप समूहों में भी देखने को मिलती है।
- मेघालय सरकार ने भी प्रमुख जनजातियों जैसे- गारो, खासी और जयंतिया को छोड़कर अन्य जनजातियों को लाभ से वंचित करने के लिए छठी अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे इन राज्यों में निवासरत जनजातियों में अविश्वास बढ़ेगा तथा उनके भी पुनर्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

पूर्वोत्तर की अन्य जनजातियों के समान ब्रू भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कुछ वर्षों से अत्यधिक समस्याओं तथा असुरक्षा का सामना कर रही है। सरकार द्वारा इस जनजाति के पुन: प्रत्यावर्तन के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। वर्तमान समय में सरकार ने इनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की है, जो एक सराहनीय कदम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बात-चीत के माध्यम से ही हो। स्पष्ट है कि पिछले 23 वर्षों से चले आ रहे इस समस्या का समाधान बात-चीत के माध्यम से ही किया जा सका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोगों को अपने मूल अधिकारों के साथ-साथ अपने मूल कर्तव्यों को भी याद रखना होगा। ज्ञातव्य है कि कोई भी शरणार्थी अपनी स्वेच्छा से नहीं होता बल्कि परिस्थितिवश होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन शरणार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए छात्र, सिविल सोसायटी, एनजीओ और मीडिया अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस समझौते के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह समुदाय समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके, तब जाकर दो दशक से अधिक समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट 2020 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में ऑक्सफैम ने 'टाइम टू केयर' रिपोर्ट (Oxfam's Time To Care Report) जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के एक प्रतिशत अमीरों के पास 70 फीसदी आबादी के मुकाबले चार गुना ज्यादा धन है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विश्व के 2153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है अर्थात् इन अरबपतियों की संपत्ति दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति से ज्यादा है।

परिचय

बढ़ती आर्थिक असमानता के संदर्भ में पिछले एक दशक में प्रमुख शिक्षाविदों, विद्वानों, अर्थशास्त्रियों यहाँ तक कि IMF जैसे मुख्य धारा के आर्थिक संस्थानों ने असमानता के घातक प्रभावों के मजबूत सबूत पेश किए हैं। इस असमानता से प्रभावित समुदायों, कार्यकर्त्ताओं, महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों तथा असमानता की खाई को कम करने के पक्षधर नेताओं ने दुनिया भर में असमानता कम करने के लिए तथा बदलाव लाने के लिए आवाजें बुलंद की हैं तथा इसके लिए अभियान भी चलाए हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि दुनिया के अधिकांश नेता अभी भी ऐसी नीति/एजेंडों का ही पालन कर रहे हैं जिससे संसाधन संपन्न तथा संसाधन हीन के मध्य आर्थिक खाई को बढ़ावा मिला है। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं, इन नेताओं ने अरबपतियों के लिए करों में कटौती, जलवायु आपातकाल से निपटने के उपायों में बाधा डालना या जातिवाद, लिंगवाद और अल्पसंख्यकों से घृणा करना आदि को बढ़ावा दिया है। विश्व स्तर पर असमानता के दुर्बल प्रभाव शायद ही कभी इतने स्पष्ट हुए जितने कि वर्ष 2018 के मध्य में सामने आए हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के नागरिकों ने वर्तमान आर्थिक नीतियों एवं संस्थागत भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाजें बुलंद की हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में कमी लाई जा सके।

ध्यातव्य है कि वर्तमान समय की आर्थिक प्रणाली ज्यादातर लैंगिक पक्षपात पर आधारित है। यदि हम आँकड़ों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि अरबपतियों की सूची में अधिकांशत: पुरुषों का ही कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक रूप से महिलाएं 12.5 बिलियन घण्टे प्रतिदिन बिना किसी वेतन/पारिश्रमिक के कार्य करती हैं। गौरतलब है कि महिलाओं द्वारा किया गया यह कार्य समाज तथा अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महिलाएँ, बच्चों, बीमार व्यक्तियों तथा वृद्धों का ध्यान रखती हैं साथ ही अनेक घरेलू कार्यों का भी निष्पादन भी करती हैं। ये महिलाएं समाज की आधारशिला होती हैं एवं अर्थव्यवस्था में इनकी अति सक्रिय भागीदारी होती है। ऑक्सफैम के मुताबिक महिलाओं द्वारा किया गया गैर-पारिश्रमिक कार्य 10.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक है जो कि किसी भी 'तकनीकी उद्योग' का तीन गुना है। परंतु महिलाओं द्वारा किए गए इन कार्यों को समाज द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसके कारण आर्थिक एवं लैंगिक रूप से असमानता बढ़ती जाती है।

ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- भले ही 2019 में वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की कुल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या में तेजी आयी है।
- दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की तुलना में दोगुने से भी अधिक संपत्ति है।
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में आय की दृष्टि से गरीबी की चपेट में ज्यादा हैं, वहीं अत्यधिक गरीबी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है जो वर्तमान समय में 4% है।
- सभी प्रकार के देखभाल करने वाले श्रमिकों में घरेलू श्रमिकों का शोषण सबसे अधिक होता है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर केवल 10% घरेलू श्रमिकों को ही श्रम कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त है उनमें भी लगभग आधे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी संरक्षण जैसे कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

भारत में आर्थिक असमानता की स्थिति

- ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट के अनुसार, 63 भारतीय अरबपतियों की संयुक्त रूप से कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी केंद्रीय बजट से भी अधिक है, जो भारतीय मुद्रा में कुल 24,42,200 करोड़ थी।
- देश के एक फीसदी अमीरों के पास 70 फीसदी आबादी के मुकाबले चार गुना ज्यादा धन है।

- यदि हम आँकड़ों पर प्रकाश डालें तो यह ज्ञात होता है कि एक घरेलू कामगार महिला को किसी तकनीकी कंपनी के CEO के समान वेतन प्राप्त करने में 22,277 वर्ष लगेंगे, ये आँकड़ा असमानता की चरम स्थिति को दर्शाता है।
- महिलाएँ और लड़कियों द्वारा संपादित 3.26 बिलियन घण्टे/दिन के अवैतनिक कार्यो (बच्चों, बुजुर्गों के लिए खाना बनाना, साफ-सफाई और देखभाल) से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 19 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है जो कि भारत के संपूर्ण शिक्षा बजट का 20 गुना है।
- यदि हम देखभाल के लिए GDP के 2% भाग का निवेश अर्थव्यवस्था में करते हैं तो इससे 11 मिलियन नए रोजगार पैदा होंगे। ध्यातव्य है कि देखभाल संबंधी यही कार्य महिलाओं द्वारा अवैतनिक रूप से पूरा किया जाता है।

विपन्नता बनाम संपन्नता

- यदि हम आर्थिक पिरामिड के शीर्ष पर नजर डालें तो हम यह पाते हैं कि अरबों की सम्पत्ति कुछ ही लोगों के पास है। जबकि विश्व में 60 प्रतिशत लोगों के पास आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त 735 मिलियन लोग अत्यन्त विपन्नता की स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।
- यदि हम वर्तमान कर प्रणाली पर दृष्टिपात करें तो यह पाते हैं कि अमीरों से कर उगाही अनुपात में काफी कम किया जाता है, जबकि मध्यम वर्गीय एवं निम्नवर्गीय लोगों पर करों का भार अधिक पड़ता है जिससे मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे- स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं।,
- वर्तमान आँकड़ों पर नजर डालने पर यह भी ज्ञात होता है कि अधिकांश देशों में लोक सेवाएँ धन की कमी की वजह से सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं जिसके कारण निजी कंपनियों को लोक सेवाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है या किया जा रहा है। फलस्वरूप निजी कंपनियाँ इन लोक सेवाओं के बदले उच्च कीमत की मांग करती हैं जिससे मध्यम एवं निम्नवर्गीय लोग इन सेवाओं की पहुँच से दूर हो रहे हैं।
- गरीबी से पीड़ित व्यक्ति धनी व्यक्तियों की अपेक्षा 10 या 20 साल पहले ही काल-कवलित हो जाते हैं। विकासशील देशों में गरीब परिवार के बच्चों की मृत्यु दर अमीर परिवार के बच्चों की मृत्यु दर की तुलना में 2 गुणा ज्यादा है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कम आय तथा संपत्ति होती है, साथ ही ये असमानता बढ़ती ही जा रही है। महिलाओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। कहीं-कहीं तो उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, फिर भी इन महिलाओं की अर्थव्यवस्था में महती भूमिका होती है।

असमानता : मुद्दे और चुनौतियाँ

ऑक्सफैम के मुताबिक लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि शीर्ष पर स्थित मुट्ठी भर लोगों के पास धन का संकेद्रण है। वर्तमान में अरबपतियों की संख्या में पहले से कहीं अधिक वृद्धि हुई है साथ ही उनकी आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ गरीब और भी गरीब होता चला गया है। विश्व की अनेक सरकारें इस असमानता को नजरअंदाज कर रही हैं। बड़े-बड़े निगमों तथा धनी लोगों से कर की वसूली कम की जाती है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं से विश्व की अधिकांश जनसंख्या वंचित है। इन नीतियों की वजह से गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अवैतनिक देखभाल कार्य के माध्यम से महिलाएँ समाज/अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, बावजूद इसके महिलाएं उन लोगों की सूची में शामिल हैं जो वर्तमान समय की आर्थिक व्यवस्था से कम से कम लाभान्वित हो रही हैं।

विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा विकासात्मक नीतियों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि सबसे अधिक हाशिये पर स्थित नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सरकारें अपेक्षाकृत अनुत्तरदायी रही हैं। दशकों से इन सरकारों ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया है, जिससे वे शीर्ष पर बने रहने तथा अपनी शक्ति, धन और प्रभाव को तेजी से विस्तारित करने में सक्षम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के हाशिए पर रहने वाले पीछे छूटते चले गये। इस व्यवस्था से आर्थिक असमानता और देखभाल जैसे कार्यों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता के नाटकीय स्तर पर बढ़ती देखभाल संकट से निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए किए गए नुकसान को कम करने और सभी नागरिकों की देखभाल करने वाले आर्थिक प्रणालियों के निर्माण के लिए ठोस प्रयासों और ठोस नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होगी। इन समस्याओं का समाधान है, लेकिन सरकारों को उन लोगों की आवाजों को सुनना शुरू करना चाहिए जिन्हें अतीत में नहीं सुना गया है।

अत्यधिक असमानता समाज के सभी लोगों को नुकसान पहुँचा रही हैं, जैसे- आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचाना, अपराधों को बढ़ावा देना और उन अरबों लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को भी धूमिल कर देता है। यह हमें गरीबी, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता हासिल करने से रोकता है। ज्ञातव्य है कि ऐसी असमान असमानता अपरिहार्य नहीं है, हालाँकि यह राजनीतिक-आर्थिक चुनौतियों का परिणाम है।

अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, गरीबी के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई को कमजोर कर रही है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रही हैं, साथ ही समाज में भी अलगाव पैदा कर रही है। विश्व की सभी सरकारों को अब एक नई मानवीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कदम उठाना चाहिए, जो कि सामाज की उन्नति के लिए वास्तव में मायने रखती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अरबपतियों के धन के लिए कार्य करने के बजाए वंचितों की देखभाल के काम को महत्त्व देती हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कुछ लोगों तक सीमित न हो बल्कि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

'देखभाल कार्य' एक विशिष्ट मुद्दा

जब हम लिंग असमानता के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग मजदूरी/वेतन पर ही केंद्रित हो जाता है। हम महिलाओं तथा लड़कियों के लिए नहीं सोचते हैं जो लम्बे समय से अनेक समस्याओं जैसे- पानी लेने के लिए उन्हें मीलों चलना पड़ता है, ये महिलाएं खाना बनाने, सफाई करने तथा दूसरों की देखभाल करने में अपना अनगिनत घण्टे व्यतीत करती हैं। ये सभी कार्य परंपरागत रूप से महिलाएं ही करती आ रही हैं, लेकिन न तो इन कार्यों की कभी गणना की जाती है और न ही कभी इन्हें महत्त्व दिया जाता है। देखभाल का कार्य एक छिपा हुआ इंजन है जो हमारी अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और समाजों के पहियों को चलायमान बनाए रखता है और इन कार्यों को महिलाएं तथा लड़कियों द्वारा संचालित किया जाता है जो अपने अच्छे शिक्षा के लिए समय नहीं निकाल पाती, न ही एक सम्मानजनक जीवन जी

पाती हैं, वो कहीं न कहीं इन अर्थव्यवस्था तथा समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुँच गई हैं। ऑक्सफैम का मानना है कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम करने तथा देखभाल करने वालों के अधिकारों तथा समुदायों को उनके काम के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। ऑक्सफैम ने इसके लिए छः उपाय सुझाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- ऑक्सफैम के अनुसार विभिन्न देशों की सरकारों और निगमों को एक साथ काम करने की जरूरत है, जैसे सरकारों को चाहिए कि वे स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, स्वच्छता, घरेलू ऊर्जा प्रणाली, बच्चों, बुजुर्गों तथा दिव्यांगों की देखभाल में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें।
- धन के अत्यधिक संकेद्रण पर अंकुश लगाया जाए ताकि अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया जा सके। इसके लिए पूंजीपतियों पर कर प्रणाली को व्यवस्थित किया जाए साथ ही करों की चोरी से निपटने का उपाय भी खोजा जाए।
- महिलाएँ जिनकी भूमिका देखभाल के क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानून बनाया जाए। साथ ही इन कानूनों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के संदर्भ में बनी पुरानी भ्रांतियों एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके।
- व्यावसायिक नीतियों एवं प्रचलित तौर-तरीकों में भी बदलाव लाया जाए, जैसे- कार्यालयों में बाल देखभाल ईकाई की स्थापना की जाए, आवश्यकतानुसार महिलाओं की कार्यावधि में ढील दी जाए एवं वैतनिक अवकाश भी प्रदान की जाए।

आगे की राह

अर्थ की अंधी दौड़ ने व्यक्ति को संग्रह, सुविधा, सुख, विलास और स्वार्थ से जोड़ दिया। इस प्रक्रिया में सारी सामाजिक मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, मर्यादाओं को ताक पर रखकर कैसे भी धन एकत्र कर लेने को सफलता का मानक माने जाने लगा है जिससे राजनीति, साहित्य, कला, धर्म सभी को पैसे की तराजू पर तोला जाने लगा है। इस प्रवृत्ति के बड़े खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक के देश की आर्थिक नीतियां और विकास का लक्ष्य कुछ लोगों की समृद्धि में चार चांद लगाना हो गया है। चंद लोगों के हाथों में समृद्धि को केन्द्रित कर भारत को महाशक्ति बनाने का सपना भी देखा जा रहा है। संभवतः यह महाशक्ति बनाने की बजाय हमें कमजोर राष्ट्र के रूप में आगे धकेलने की तथाकथित कोशिश है। हमारे देश में जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगों के हाथों में ही बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जाये, पूंजी का वितरण ऐसा होना चाहिए कि विशाल देश के लाखों गांवों को आसानी से उपलब्ध हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

3. वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एवं भारत : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (Economist Intelligence Unit- EIU) ने वर्ष 2019 के लिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है। ईआईयू द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची में भारत 10 स्थान फिसलकर 51वें स्थान पर आ गया है। ज्ञातव्य है कि यह सूचकांक 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति का एक खाका पेश करती है।

परिचय

'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह दुनिया के बदलते राजनीतिक हालात पर नजर रखती है और दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा विभिन्न देशों की सरकार को खतरों से आगाह करती है। लोकतांत्रिक सूचकांक पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। फिर 2008, 2010 और इसके बाद के वर्षों में इसे अपडेट किया गया तथा यह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। ज्ञातव्य है कि यह सूचकांक 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' द्वारा तैयार की गई 'अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पोपुलर प्रोटेस्ट' (A year of democratic setbacks and popular protest) नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। इस वैश्विक सूचकांक में 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों (Territories) में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को दर्शाया गया है। पाँच पैमानों के आधार पर ही किसी भी देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस सूचकांक में 1-10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। ये सूचकांक पाँच अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत 60 संकेतकों पर आधारित हैं।

इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैमानों पर किया गया है जो निम्नलिखित है-

1. चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Electoral Process and Pluralism)
2. सरकार की कार्यशैली (The Functioning of Government)
3. राजनीतिक भागीदारी (Political Participation)
4. राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
5. नागरिक आजादी (Civil liberties)

रैंकिंग मानदंड

ईआईयू के अनुसार, किसी देश को मिलने वाले कुल अंकों के आधार पर देशों को चार प्रकार के शासन में वर्गीकृत किया जाता है, ये चार श्रेणियां - "पूर्ण लोकतंत्र" (Full Democracies) (8 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले), त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र (Flawed Democracies) (6 से ज्यादा लेकिन 8 या 8 से कम अंक वाले), मिश्रित शासन (Hybrid Regimes) (4 से ज्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक हासिल करने वाले) और सत्तावादी शासन (Authoritarian Regimes) (4 या उससे कम अंक वाले) हैं।

पूर्ण लोकतंत्र: पूर्ण लोकतांत्रिक देश वो हैं, जहां नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान किया जाता है। इन राष्ट्रों में जाँच और शक्ति संतुलन की एक वैध प्रणाली है जो वास्तव में स्वतंत्र न्यायपालिका में निहित है, जिसके निर्णय पूर्ण रूप से सभी पर लागू होते हैं। पूर्ण लोकतंत्र में सरकारें लोगों के कल्याण हेतु बेहतर कार्य करती हैं। यहां स्वतंत्र मीडिया होता है। इन राष्ट्रों को लोकतांत्रिक कामकाज में केवल सीमित समस्याएँ होती हैं।

त्रुटिपूर्ण (Flawed) लोकतंत्र: इस प्रकार के लोकतंत्र वाले वो राष्ट्र होते हैं, जहां चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं और बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इसमें मीडिया स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। इन राष्ट्रों में अन्य लोकतांत्रिक पहलुओं में महत्वपूर्ण दोष हैं जिनमें अविकसित राजनीतिक संस्कृति, राजनीति में भागीदारी का निम्न स्तर और शासन के कामकाज के मुद्दे शामिल हैं।

मिश्रित शासन (Hybrid regimes) : ये वो देश हैं जहां नियमित चुनावी धोखाधड़ी होती है, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र होने में रूकावट उत्पन्न होती है। इन राष्ट्रों में आमतौर पर ऐसी सरकारें होती हैं जो राजनीतिक विरोधियों, न्यायपालिकाओं, व्यापक भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और मीडिया पर लगाए गए दबाव, कानून के अराजक शासन और अविकसित राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।

अधिनायकवादी शासन (Authoritarian regimes) : अधिनायकवादी शासन वाले वे राष्ट्र हैं जहाँ राजनीतिक बहुलता लुप्त हो गई है या बेहद सीमित है। ये राष्ट्र अकसर निरंकुश राजशाही या तानाशाही होते हैं। यहां लोकतंत्र की कुछ पारंपरिक संस्थाएं हो सकती हैं लेकिन नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन आम बात है। यहां चुनाव यदि होते भी हैं तो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते हैं। वहीं मीडिया अकसर राज्य के स्वामित्व वाली होती है या सत्तारूढ़ शासन से जुड़े समूहों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है।

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के मुख्य बिंदु

इस सूचकांक में शासन व्यवस्था को चार तरह के मानकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है जो निम्नलिखित हैं-

- इस सूचकांक में 167 देशों में केवल 22 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक देश बताया गया है।
- दोषपूर्ण लोकतांत्रिक श्रेणी के अंतर्गत कुल 54 देशों को शामिल किया गया है।
- मिश्रित शासन के अंतर्गत कुल 37 देशों को शामिल किया गया है।
- अधिनायकवादी शासन के अतर्गत कुल 54 देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूचकांक में नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीडन क्रमश: 9.87, 9.58, 9.39 अंकों के स्कोर के साथ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर है।
- इस सूचकांक में उत्तर कोरिया (North Korea) को 1.08 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान कुल 4.25 अंकों के साथ सूची में 108वें स्थान पर है। इसी तरह श्रीलंका 6.27 अंकों के साथ 69वें तथा बांग्लादेश 5.88 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है।
- चीन 2019 में 2.26 अंकों के साथ 153वें स्थान पर है। यह वैश्विक रैंकिंग में निचले पायदान के करीब है।
- उभरती हुई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील 6.86 अंक के साथ 52वें स्थान पर है और रूस 3.11 अंक के साथ सूची में 134वें स्थान पर है।

सूचकांक में भारत की स्थिति

- इस रिपोर्ट में भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया समूह में भारत को आठवाँ स्थान मिला है।
- भारत को कुल 6.90 अंक मिले हैं।
- अगर भारत के रैंक को अलग-अलग पैमानों पर देखें तो भारत को चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 8.67, सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 6.67, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक आजादी में 6.76 अंक दिये गए हैं।
- इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी का आशय ऐसे देशों से है जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है लेकिन लोकतंत्र के पहलुओं में विभिन्न समस्याएँ है, जैसे- शासन में समस्याएँ, एक अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर आदि।

सूचकांक में भारत के निम्न प्रदर्शन का कारण

- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन है, इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के समाप्त करने से भी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है।
- कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदमों से भारत की रैंकिंग में कमी आई है, इसमें बड़ी संख्या में कश्मीर में सैनिकों को तैनात करना, इंटरनेट पर रोक तथा स्थानीय नेताओं को नजरबंद करना शामिल है।

रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल

- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, मानक अनुसंधान संस्थानों तथा विश्व विद्यालयों के रिपोर्ट के विपरीत, 'द इकोनॉमिस्ट' एक राजनीतिक पत्रिका है, जो वर्तमान वैश्विक विषयों/मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है साथ ही टिप्पणी भी करती है। जानकारों का मानना है कि एक राजनीतिक पत्रिका होने के नाते यह पत्रिका पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती है।
- यह सही है कि 'द इकोनॉमिस्ट' ने वर्तमान सरकार के नेतृत्व में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का सर्वेक्षण किया है। लेकिन इस पत्रिका को भारतीय लोकतंत्र के आकार को देखते हुए गहनता से सर्वेक्षण करने के लिए वास्तव में वैश्विक विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में जिन पाँच व्यापक श्रेणियों पर पत्रिका द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वह अपने आप में अविश्वसनीय है क्योंकि इतने कम समय में और इतना व्यापक अध्ययन करना इन एजेंसियों के लिए ही चुनौतीपूर्ण है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार "200 मिलियन मुसलमानों में से कई के पास यह साबित करने के लिए जरूरी कागजात नहीं हैं कि वे भारतीय हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 'द इकोनॉमिस्ट टीम ने लगभग 200 मिलियन मुसलमानों का सर्वेक्षण किया होगा या वैकल्पिक रूप से इस संस्था ने कुछ विशेषज्ञ सर्वेक्षण एजेंसियों की सेवाओं को शामिल किया होगा, जिसका रिपोर्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि किस/किन एजेंसियों का सहारा लिया गया है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता पर सवाल उठना लाज़िमी है।
- जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन पर अवलोकन करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में सैनिकों की तैनाती और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर भारत को स्कोर दिया गया है। लेकिन यह राज्य से जुड़े इतिहास और राजनीतिक गतिशीलता की जटिलताओं के बारे में कोई अवलोकन नहीं करता है।

इसके अलावा राज्य की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा एक अस्थाई उपाय के रूप में लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल पूरे देश को कम लोकतांत्रिक बनने के रूप में कभी भी निश्चित नहीं किया जाना चाहिए।

- ज्ञातव्य है कि इस रिपोर्ट में बुनियादी अंतर्दृष्टि का अभाव है क्योंकि इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान नहीं हैं जो भारतीय नागरिकों के किसी भी अधिकार के खिलाफ है।

विशेषज्ञों के सुझाव

- उल्लेखनीय है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय लोगों की स्वाभाविक पसंद है और कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी, अगर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक निश्चित पहलू पर एक सरकार के रूप में और सुधार करने की आवश्यकता है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए।
- हालांकि संसाधनों और तकनीकी उन्नयन द्वारा सीमित, तथा सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि एक अलोकप्रिय परंतु आवश्यक नीतिगत कार्यान्वयन के दौरान भी प्रतिबंध न्यूनतम हो।
- भारत सरकार के माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई विभिन्न स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखकर ही किसी नीति या कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, साथ ही लोगों को भी अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के माध्यम से सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों/कार्यक्रमों का भी पालन करने की आवश्यकता है।
- राजनीतिक पार्टियाँ, सरकार, मीडिया या आम नागरिक, सभी को अपने दृष्टिकोण में और अधिक लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है। यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण लोगों को अधिक जागरूक और शिक्षित बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था न केवल उन लोगों के लिए सहायक होगी जिनको सरकार द्वारा लाए गए किसी नीति /नियम/कानून का विरोध करना है, बल्कि यह सरकार के लिए भी बड़े पैमाने पर अपने नीति को लोगों तक पहुँचाने तथा उन्हें समझाने के लिए आवश्यक होगी।
- जहाँ तक सवाल मीडिया का है तो वह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है और लोगों तक उनकी पहुँच आसान होती है। उन्हें भी लोगों को जागरूक करने में तथा निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें भी इन्हीं मीडिया के माध्यम से रोका जा सकता है। यदि भारत में राज्य और नागरिकों को स्वस्थ संबंध बनाए रखना है तो सभी वर्गों एवं सरकारों के मध्य पारस्परिक संबंधों का होना अति आवश्यक है।

आगे की राह

वैश्विक संस्थाओं तथा राजनीतिक पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट तथा रैंकिंग्स की अपनी सीमाएँ होती हैं। हमें इन रिपोर्टों से न तो पूरी तरह प्रभावित होना चाहिए और न ही इन रिपोर्टों के दिशा-निर्देशों को एक मात्र आधार बनाना चाहिए। लोकतंत्र सूचकांक की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अत: हमें बिना किसी भेदभाव के लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य करना होगा। भारत को अपने लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दोतरफा उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा-

- पहला-हमें शासन प्रणाली के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना होगा साथ ही इस शासन प्रणाली में जनता की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।
- दूसरा-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी अपनाना होगा ताकि विश्व में लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत का स्थान शीर्ष पर कायम रहे।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आजादी के 71 साल के बाद भी देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कृषि संकट आदि समस्याएँ विद्यमान हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपसी सामंजस्य आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

4. आईएनएफ संधि की समाप्ति से हथियारों की होड़ संभव

सन्दर्भ

अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90 प्रतिशत से भी अधिक परमाणु हथियार हैं। आईएनएफ संधि (The Intermediate Range Nuclear Forces Treaty) की वजह से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगी थी। परन्तु 2 अगस्त, 2019 को अमेरिका ने रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि से खुद को औपचारिक रूप से अलग करने का ऐलान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले के पीछे रूस के मिसाइल 9M729 और चीन के इस संधि का हिस्सा नहीं होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस संधि के तहत जहां अमेरिका और रूस पर विशेष प्रकार के परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगी हुई थी, वहीं चीन इसका हिस्सा नहीं था। इस संधि से पीछे हटकर अमेरिका ने अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को लेकर आक्रामकता का संकेत दिया है।

गौरतलब है कि आईएनएफ (INF) शीत युद्ध काल की दूसरी प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधि थी, इसके बाद एकमात्र हथियार नियंत्रण संधि 'न्यू स्टार्ट' है, जिसकी अवधि फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगी।

INF संधि का सफर

1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने दस्तखत किए थे। यह हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में इतिहास की सबसे सफल और दूरगामी परिणाम वाली संधि थी। इसके तहत 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर की दूरी वाली जमीन से छोड़े जाने वाली परमाणु मिसाइलों को खत्म करना और यूरोप में मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियारों को नष्ट किया जाना था। मिसाइल की मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर से अधिक होने पर उसे स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल माना गया, जो न्यू स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी (न्यू स्टार्ट) के दायरे में आए। INF संधि के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन

और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच 2,692 छोटी और मध्यम श्रेणी के मिसाइलों को नष्ट करने पर सहमति बनी थी, जिनमें सोवियत संघ ने 1,446 मिसाइलें (इनमें 654 एसएस-20 मिसाइलें शामिल थीं), जबकि अमेरिका ने 846 मिसाइलों को नष्ट किया था। इस संधि से शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की दौड़ खत्म करने में मदद मिली थी। इस वजह से रणनीतिक परमाणु हथियारों को नष्ट किया गया और हजारों की संख्या में तैनात किए गए हथियारों को हटाया गया था। यह संधि 1 जून 1988 को अस्तित्व में आई थी। इसने शीत युद्ध के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से यूरोप में। इसने टकराव की आशंका कम करने, देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने और शीत युद्ध का खात्मा करने में काफी मदद की थी।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच संधि

अमेरिका के INF संधि से बाहर आने के पश्चात ही अमेरिकी सेना ने जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के सामने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। यह मिसाइल सैन निकोलस द्वीप पर एक लॉन्चर से छोड़ा गया, जो लॉस एंजिलिस, कैलिफोर्निया के तट से एक नौसैनिक परीक्षण स्थल और प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा विभाग भविष्य में मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए कर सकता है। अमेरिका लंबे समय से रूस पर INF संधि के उल्लंघन का आरोप भी लगाता आया है। हालांकि, रूस का दावा है कि 9M729 जमीन से छोड़े जाने वाली उतनी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कभी नहीं किया गया, जिन पर INF संधि के तहत रोक लगी हुई थी। रूस यह भी कहता रहा है कि उसने इस मिसाइल का अस्तित्व कभी नहीं छिपाया।

रूस का दावा है कि उसने हमेशा संधि का पूरी तरह पालन किया। उसने अमेरिका के सभी आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका के मिसाइल परीक्षण करने के लगभग तीन सप्ताह बाद रूस ने भी एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के क्रूज मिसाइल के परीक्षण के जवाब में रूस ने यह कदम उठाया। पिछले साल जून में अमेरिका ने एगिस एशोर मिसाइल-रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ एमके-41 कार्यक्षेत्र लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब की तैनाती शुरू कर दी थी, जिसका इस्तेमाल यूरोप में मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। रूस का कहना है कि रोमानिया और पोलैंड में अमेरिकी एमके-41 प्रक्षेपण प्रणालियों की तैनाती इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि के खिलाफ है। रूस को पता है कि अगर वह हथियारों की विनाशकारी दौड़ में शामिल होता है तो उस पर आर्थिक दबाव बहुत बढ़ जाएगा। वैसे, यह भी सच है कि अमेरिका से आसन्न खतरों के मद्देनजर रूस को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक उपाय करने होंगे। रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के आधिकारिक रूप से INF संधि से बाहर निकलने के बाद कहा था कि 'रूस यूरोप या अन्य क्षेत्रों में जमीन से छोड़े जाने वाली मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें तब तक तैनात नहीं करेगा, जब तक कि अमेरिका ऐसा नहीं करता।'

गौरतलब है कि दुनिया के परमाणु संपन्न देशों के पास कुल 14,000 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 90% से अधिक रूस और अमेरिका के पास हैं। लगभग 9,500 वॉरहेड सैन्य सेवा में हैं।

पिछले कई वर्षों से रूस और अमेरिका इस संधि में चीन को शामिल करने की भी बात कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि चीन ने जिस तरह की मिसाइल क्षमता तैयार की है, उससे 'नई सामरिक जरूरत' महसूस की जा रही है।

चीन की मंशा एवं INF संधि

कई पश्चिमी रक्षा विश्लेषक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि चीन ने बड़े पैमाने पर जमीन से छोड़े जाने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइलें बनाई हैं, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से ताइवान की मोर्चाबंदी, गुआम द्वीप के साथ अमेरिका के अन्य प्रमुख ठिकानों को लक्षित करना और एशिया में अमेरिका के सहयोगियों को डराना-धमकाना है। चीन की इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नौ सैनिकों को इस क्षेत्र में आने से रोकना भी है। परमाणु हथियार ले जाने वाली इन मध्यम दूरी की मिसाइलों से चीन एशिया में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों को डराना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों की संख्या और न बढ़े।

2013 में अमेरिका की नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर ने खुलासा किया था कि 'चीन के पास दुनिया के सबसे सक्रिय और कई किस्म की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।' चीन बैलिस्टिक मिसाइलों की गुणवत्ता को भी बेहतर बना रहा है ताकि इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों के लिहाज से उसका दबदबा बना रहे।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन जिस जगह पर स्थित है, उससे उसे भू-रणनीतिक और भू-राजनीतिक दोनों के लिहाज से बढ़त हासिल है। चीन ने जो मिसाइलें तैनात की हैं, उनके दायरे में रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप के कई सारे क्षेत्र आते हैं। साथ ही, अमेरिका के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई सैन्य ठिकाने भी इनकी पहुँच में हैं। चीन ने अपने परमाणु हथियारों के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके पास 240 से 400 न्यूक्लियर वॉरहेड होने का अनुमान है।

यह सच है कि ताइवान, सेनकाकू द्वीप और दक्षिण चीन सागर को लेकर वह अमेरिका के साथ सीमित संघर्ष की तैयारी कर रहा है। इससे इन क्षेत्रों में युद्ध की आशंका को बढ़ावा मिला है। चीन इसके लिए अपनी योजना अमेरिका की क्षमता को देखकर तैयार कर रहा है। ताइवान पर उसके हमला करने की सूरत में अमेरिका किस हद तक दखल दे सकता है, उसकी योजना में यह पहलू भी शामिल है। चीन के रणनीतिकारों ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है कि अमेरिका ऐसी स्थिति में किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।

चीन अपनी परमाणु क्षमता पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के आधुनिकीकरण के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए भी तैयार कर रहा है। वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। चीन के पास ऐसी क्षमता है कि वह सीमित अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग (डीओडी) के अनुसार, चीन बेहतर रेंज और विनाशकारी क्षमता के साथ नए और उन्नत परमाणु वितरण प्रणाली तैयार कर रहा है। जिस तरह से चीन अपने हथियारों का विस्तार कर रहा था, उससे INF संधि लगातार अप्रभावी हो रही थी। हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले कई जानकारों का मानना है कि जब तक चीन को इसके दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक इसमें सफलता मिलना मुश्किल है। वैसे, चीन को INF संधि में लाना रूस और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन कई वजहों से उसे इसका हिस्सा बनाना जरूरी है।

चीन ने आक्रामक रणनीति के तहत भारतीय सीमा के पास मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें डोंग फेंग-21 (DF-21 / CSS-5) को तैनात किया है। उसने ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और गुआम पर हमला करने में सक्षम हथियारों की एक श्रृंखला का निर्माण भी किया है।

इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख ने अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड को जरूरतमंद बना दिया है। साथ ही, दक्षिण चीन सागर में वह रणनीतिक जलमार्गों पर चीन के दावों ने इस क्षेत्र के देशों की चिंताओं को और बढ़ा दी है। रक्षा विश्लेषक का कहना है कि चीन ने मध्यम दूरी की मिसाइलों का बेड़ा इसलिए तैयार किया है ताकि वह गुआम द्वीप के साथ अमेरिका के अन्य प्रमुख ठिकानों को लक्षित कर सके। इससे वह अमेरिकी नौसेना का इस क्षेत्र में दखल भी घटाना चाहता है। इसके लिए चीन DF-26 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर खास तौर पर भरोसा कर रहा है, जो पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों से लैस है। इस तरह के हथियारों से चीन इस क्षेत्र में दबदबा कायम करने के साथ अन्तर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियारों से अमेरिकी महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता बढ़ा रहा है।

अमेरिका की एशिया नीति

अमेरिका चीन के आस-पास अपनी मिसाइलों को तैनात कर चीन के महत्वपूर्ण ठिकानों को अपनी पहुँच में लाना चाहता है। इससे वह दक्षिण और पूर्वी चीन सागर को लेकर चीन की चालों को बेअसर करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहता है। इससे अमेरिका के सहयोगियों का हौसला भी बढ़ेगा। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या पेंटागन को गुआम के बाहर (गुआम प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप है, जो प्रशासनिक रूप से अमेरिका के आधीन है) पूर्वी एशिया में मध्यम दूरी मिसाइलों की तैनाती के लिए जगह मिलेगी? असल में, चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और सक्रियता के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे अमेरिका के सहयोगी इसके लिए तैयार नहीं हैं। हालाँकि कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि अमेरिका गुआम द्वीप में नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है।

INF संधि से अमेरिका के पीछे हटने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने 'पड़ोसी देशों को समझदारी से काम लेने और अपने क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की अनुमति नहीं देने के लिए चेतावनी भी दी थी।' गुआम द्वीप में अमेरिका इसलिए मिसाइलें तैनात करना चाहता है क्योंकि यहां से चीनी तट की दूरी 3,000 किलोमीटर से भी कम है।

पूर्वी चीन और दक्षिण चीन सागर के कुछ विवादित और चीन के कब्जे वाले द्वीपों को वह जापान और फिलीपींस के अपने ठिकानों से लक्षित कर सकता है, लेकिन ये मिसाइलें चीन में काफी अंदर तक मार करने में सक्षम नहीं होंगी। लंबी दूरी की हवा और समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों पर INF संधि में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यदि भविष्य में ताइवान या दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र या फिर सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे चीन की मुख्य भूमि को लक्ष्य बना सकती हैं।

कुछ विश्लेषकों का यह तर्क है कि अमेरिका को मध्यम श्रेणी की मिसाइलों को स्थायी रूप से सहयोगी देशों में तैनात करने की जरूरत नहीं है। वह किसी संकट की स्थिति में इन मिसाइलों को बहुत कम समय में तैनात कर सकता है।

जानकारों की राय

यदि शस्त्र नियंत्रण को लेकर जल्द सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो अब से लगभग एक साल बाद परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली कोई भी संधि नहीं रहेगी। अब दुनिया ऐसे चौराहे पर आ गई है, जहां हथियार नियंत्रण के वो सारे तंत्र बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें योजनाकारों ने परमाणु युद्ध के खतरों से दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। आज हथियार नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था की सख्त जरूरत है। दुनिया दोनों महाशक्तियों (अमेरिका एवं रूस) से आशा करती है कि वे कम से कम न्य स्टार्ट संधि को जारी रखें, जिसका उद्देश्य अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना है। न्यू स्टार्ट संधि में पाकिस्तान, भारत, इजरायल, उत्तर कोरिया और ईरान को शामिल करने की चर्चा चल रही है। आज अमेरिका और रूस के बीच अविश्वास गहरा गया है। ऐसे में हथियार नियंत्रण संधि की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस संधि से जुड़े कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं-

- नाटो के सदस्य देशों को चाहिए कि वे भी अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए न करें, जिससे इस संधि द्वारा प्रतिबंधित मिसाइलों को लेकर तनाव पैदा हो। युद्धस्थल बनने से बचने के लिए यूरोप को नाटो के साथ मिलकर इसकी घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी सदस्य देश यूरोप में INF संधि द्वारा प्रतिबंधित मिसाइलों की तैनाती तब तक नहीं करेगा, जब तक कि रूस ऐसा नहीं करता।
- एशिया और खासतौर पर जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को किसी विदेशी ताकत को अपनी जमीन का इस्तेमाल मिसाइल तैनात करने के लिए नहीं देना चाहिए।
- अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति INF श्रेणी की मिसाइलों को 'पहले न तैनात करने के' एक कार्यकारी समझौते पर दस्तखत करें, जिसके सत्यापन की भी व्यवस्था हो। रूस को आश्वस्त करने और विश्वास बहाली के लिए अमेरिका अपने एमके-41 मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्चर रोमानिया और पोलैंड में न लगाएं।
- अमेरिका और रूस नए समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हों, जिसमें परमाणु हथियारों से लैस जमीन-आधारित, मध्यम श्रेणी की बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने हेतु सहमति बने।

भारत का दृष्टिकोण

भारत को परमाणु नियंत्रण के मामले में बदले हुए हालात को निकटता से समझना होगा। उसे इनके मुताबिक तैयारी करनी होगी। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, नई तकनीकों के विकास, प्रमुख शक्तियों के अपने हित और राजनीतिक इच्छा शक्तियों की कमी से हथियार नियंत्रण व्यवस्था कमजोर पड़ रही है।

INF संधि के खत्म होने के बाद अब भारत के नीति-निर्माताओं को तीन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली, संधि के टूटने के बाद पैदा होने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी, इसके लिए अगर कोई नई संधि होती है तो क्या उसके दायरे में अन्य परमाणु हथियारों से संपन्न देश भी आएंगे? अगर ऐसा होता है तो इससे भारत की परेशानी बढ़ सकती है। तीसरी, अपने मिसाइल कार्यक्रमों को आगे कैसे संरक्षित, संवर्द्धित और विकसित किया जाए। भारत को देखना चाहिए कि इस मामले में दुनिया की प्रमुख शक्तियों का क्या कदम होता है? उसे इसी के मुताबिक अपनी योजना तैयार करनी चाहिए।

भारत को अब पारंपरिक परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों (जो ध्वनि की गति से कम से कम पाँच गुना अधिक गति से मार करती हैं) के विकास पर ध्यान देना चाहिए। परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अब हाइपरसोनिक हथियारों में निवेश कर रहे हैं। चीन इसमें पहले से ही काफी निवेश कर चुका

है। वहीं, भारत, रूस के साथ मिलकर स्वदेशी और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, जो ध्वनि की गति की दोगुना तेजी से मार करती हैं। भारत को अपने मिसाइल कार्यक्रम की योजना भविष्य की चुनौतियों को देखकर बनानी होगी। उसे घरेलू प्रयासों को गति देने के साथ हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष

परमाणु हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर लंबे समय से गंभीर मतभेद बने हुए हैं। पिछले एक दशक में हथियार नियंत्रण को लेकर स्थिति काफी भयावह हुयी है, जिससे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा है। कई देशों ने इस बीच हथियारों का जखीरा बना लिया है। इसके साथ यह भी सच है कि परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट आ रही है. लेकिन अमेरिका के INF संधि से पीछे हटने और नई मिसाइलें तैनात करने से दो चीजें हो सकती हैं- पहला, हिंद-प्रशांत क्षेत्र को परमाणु हथियारों का निशाना बनता देख उसे रणक्षेत्र में बदलने से रोकने के लिए रूस और चीन नए परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे 1980 के दशक की शुरूआत में यूरोप में परमाणु मिसाइलों की तैनाती के कारण मॉस्को INF संधि के लिए राजी हो गया था। दूसरा, अगर ये नई संधि के लिए सहमत नहीं होते हैं तो हथियारों की होड़ के कारण इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, जिससे वे आखिरकार इसके लिए विवश हो जाएं।

मिसाइलों की होड़ शुरू होने पर अमेरिका, रूस, चीन या उभरती हुई कोई अन्य महाशक्ति तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते, जब तक कि संबंधित देश इसे रोकने के लिए संधि की पहल नहीं करते और आपसी विश्वास बहाली के लिए मिलकर कोई रास्ता नहीं निकालते। इसके साथ ही रूस और अमेरिका दोनों को न्यू स्टार्ट संधि की समयसीमा बढ़ाने पर भी गौर करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. मृत्यु दण्ड : अंतहीन उपचार की उपलब्धता?

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि मौत की सजा पर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। सरकार ने याचिका में कहा है कि डेथ वॉरंट जारी होने के बाद 7 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल करने की इजाजत मिले। दया याचिका रद्द होने के अगले 7 दिन में नया डेथ वॉरंट जारी हो और नया वॉरंट जारी होने के 7 दिन बाद फांसी दे दी जाए। इस याचिका में कहा गया कि दोषी की फांसी इसलिए न रोकी जाए, क्योंकि उसी केस के दूसरे दोषियों की किसी याचिका पर फैसला लंबित है।

गौरतलब है कि मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी दोषी की कोई भी याचिका लंबित होने पर उस केस से जुड़े बाकी दोषियों को भी फांसी नहीं दी जा सकती है।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने आपातकाल के समय में जीवन का अधिकार निरस्त करने के फैसले पर पछतावा जताया था। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी गलती कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोर्ट के अंतिम फैसले में त्रुटि रह गई तो क्या उसका नतीजा निर्दोष भुगतेंगे? जब यह सवाल 2002 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के सामने आया तो उसने क्यूरेटिव पिटीशन यानी सुधार याचिका की व्यवस्था दी। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में पहली बार इस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दाखिल रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले की दोबारा समीक्षा करने का अनुरोध किया जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसपी भरूचा, जस्टिस सैयद मोहम्मद कादरी, जस्टिस यूसी बनर्जी, जस्टिस एसएन वरियावा और जस्टिस शिवराज वी. पाटिल की संविधान बेंच ने दी थी।

मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 30 दिन के भीतर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के लिए समयसीमा तय नहीं है। इसे कोई सीनियर एडवोकेट ही दाखिल कर सकता है। याचिका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तीन सबसे वरिष्ठ जजों की बेंच के पास जाती है। यदि उन्हें लगता है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे सही हैं तो वह सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर सकते हैं। यह याचिका उन जजों को भी देनी होती है, जिन्होंने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाया था।

इस तरह की याचिका स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं: 1. साबित करना होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। जज निष्पक्ष नहीं था। 2. फैसले का आधार त्रुटिपूर्ण है। 3. याचिकाकर्ता गलत हुआ तो उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।

फांसी को लेकर मौजूदा प्रावधान और सरकार की याचिका:

प्रक्रिया	सरकार की याचिका में समय सीमा	मौजूदा प्रावधान
रिव्यू पिटीशन	पूर्ववत (बदलने की मांग नहीं)	फैसला आने के बाद 30 दिन
क्यूरेटिव पिटीशन	रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद 7 दिन	कोई समय सीमा नहीं
दया याचिका	सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद 7 दिन	सामान्यत: 7 दिन / फांसी होने के ठीक पहले तक
डेथ वॉरंट	दया याचिका खारिज होने के बाद 7 दिन	कोई समय सीमा नहीं
फांसी	डेथ वॉरंट जारी होने के बाद 7 दिन	डेथ वॉरंट के बाद कम से कम 14 दिन

केन्द्र सरकार की याचिका में क्या

गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका में मौत की सजा के मामलों में कानूनी प्रावधानों को 'दोषी केंद्रित' के बजाए 'पीड़ित केंद्रित' करने की अपील की है। अर्थात् मौत की सजा के मामलों में तय गाइडलाइंस को दोषी की जगह पीड़ित को ध्यान में रखते हुए बदला जाए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान कानून के गाइडलाइंस दोषी व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके कारण वे सजा टालने के लिए कानूनी प्रावधानों से खिलवाड़ करते हैं। इस याचिका में मौत की सजा पाने वाले निर्भया के

दोषियों को मिले अधिकारों पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की माँग की गई है। जनवरी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मौत की सजा पाए दोषी के भी कुछ अधिकार होते हैं और उसकी दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही उसे फांसी दी जाए।

गौरतलब है कि निर्भया के साथ दरिंदगी के चारों दोषियों की फाँसी की सजा कानूनी पैंतरों की वजह से लगातार टल रही है। पीड़िता के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यह तय करे कि एक दोषी कितनी याचिकाएँ दाखिल कर सकता है। ऐसा करने से ही महिलाओं को निश्चित समय में न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज की थी। उसने 2012 में हाईकोर्ट में वारदात के समय खुद के नाबालिग होने की याचिका खारिज होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इस केस में वारदात के 2578 दिन बाद पहला डेथ वॉरंट जारी हुआ था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाए जाने का डेथ वॉरंट दिया था। 17 जनवरी को नया डेथ वॉरंट जारी किया गया, जिसमें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया गया।

क्या है क्यूरेटिव पिटीशन

क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन उस मुजरिम के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिसके जरिए वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है।

क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है, इसमें फैसला आने के बाद मुजरिम के लिए आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद कोई भी मामला खत्म हो जाता है, लेकिन 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन के मामले में ये अपवाद हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने की माँग स्वीकार की थी।

क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा साल 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान हुई। इस बहस के दौरान जब ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी दोषी को राहत मिल सकती है, तो नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाल सकता है लेकिन सवाल ये पूछा गया कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया जाता है तो क्या किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को फिर से उसे दुरुस्त करने लिए क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा लेकर सामने आई।

क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई। वास्तव में Curative Petition शब्द का जन्म ही Cure शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है उपचार। क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है।

क्यूरेटिव पिटीशन किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी होता है, जिसके बाद इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जजों और जिन जजों ने फैसला सुनाया था, उनके पास भी भेजा जाना जरूरी होता है। अगर इस बेंच के ज्यादातर जज इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए तब क्यूरेटिव पिटीशन को वापस उन्हीं जजों के पास भेज दिया जाता है।

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर होता है। रिव्यू पिटीशन में कोर्ट अपने पूरे फैसले पर पुनर्विचार करती है, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन में फैसले के कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाता है। कोर्ट को अगर लगता है कि किसी मुद्दे या किसी बिंदु पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है तो क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान उस पर विचार होता है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान अगर सुनवाई होती है और फांसी के दिन तक इस पर फैसला नहीं आता है तो फांसी की तारीख टल सकती है।

मृत्यु दण्ड एवं कानून पेंच

- अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा मिली है और इनमें से एक भी दोषी फांसी के विरुद्ध अपील करता है तो इस स्थिति में सभी दोषियों की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता।
- गौरतबल है कि निर्भया मामले में दोषियों की फांसी में एक और केस अड़चन डाल रहा है। वह है सभी दोषियों के खिलाफ लूट और अपहरण का केस। पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को लूट के एक मामले में निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है। जब तक इस पर फैसला नहीं होता जाता, दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती।

संवैधानिक प्रावधान

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तिः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। यह राष्ट्रपति को निम्न प्रकार के क्षमादान से संबंधित शक्ति प्रदान करता है–

- क्षमा (Pardons): इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपराधी को सजा मुक्त कर सकता है।
- प्रविलंबन (Reprieves): इसके अंतर्गत किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगायी जाती है ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना का समय प्राप्त हो सके।
- विराम (Respites): इसके अंतर्गत विशेष मानवीय परिस्थिति के आधार पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे- विकलांगता, गर्भावस्था आदि।
- परिहार (Remissions): इसके अंतर्गत दंड की मात्रा को कम किया जाता है।
- लघुकरण (commutations): इसके अंतर्गत दंड के प्रकार को बदलकर रियायत दी जाती है।

राज्यपाल की क्षमादान शक्तिः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। प्रमुख रूप से राज्यपाल को राज्य विधि के विरुद्ध सजा प्राप्त व्यक्ति के संबंध में क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है। इस संबंध में उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। परन्तु मृत्युदण्ड के संबंध में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को अपवाद माना गया है।

राज्यपाल मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान नहीं दे सकता है, चाहे वह राज्य विधि के विरूद्ध अपराध के लिए ही क्यों न दिया गया हो। इस संबंध में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से सीमित होती है। राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित शक्तियाँ दो अन्य रूपों में भी राष्ट्रपति से सीमित होती हैं, पहला– वह अपने राज्य क्षेत्र के बाहर अन्य राज्य क्षेत्र के सजा प्राप्त व्यक्ति के संबंध में शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा– वह कोर्ट मार्शल के

तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता है।

आगे की राह

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में निचली अदालत के ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय से भी फैसला आने के बाद बिल्कुल अंतिम चरण में फैसले को बदलने या कम से कम टालने की अपील की जा सकती है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा महसूस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उसमें सुधार की गुंजाइश बाकी रह जाती है।

देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का स्पष्ट मत रहा है कि एक अपराधी का अपराध भले ही बहुत जघन्य हो सकता है लेकिन न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को इन सभी के ऊपर रखता है और उसका यह निष्कर्ष है कि ये कैदी भी मनुष्य हैं और उनकी सजा मृत्यु दंड पर अमल में अत्यधिक विलंब उन्हें यंत्रणा देता है।

उच्चतम न्यायालय ने हमेशा ही संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के मौलिक अधिकार को सबसे उपर रखा है। यही वजह है कि न्यायालय हमेशा यह महसूस करता है कि जीने के मौलिक अधिकार और मौत की सजा के अपरिवर्तनीय होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये मौत की सजा वाले सभी मामलों में पुनर्विचार याचिका के स्तर पर मौखिक सुनवाई दी जानी चाहिए और ऐसा करना न्यायोचित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सीमित सुनवाई की व्यवस्था मौत की सजा से संबंधित उन सभी मामलों में लागू होगी जहां पुनर्विचार याचिका लंबित है या फिर ऐसी याचिका खारिज हो गयी है लेकिन अभी मौत की सजा पर अमल नहीं किया गया है।

इन न्यायिक व्यवस्थाओं और कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या ही नहीं बल्कि दूसरे भी जघन्य अपराधों में मौत की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिकायें कानूनी दांवपेचों के बीच उलझ कर रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि मौत की सजा की माफी के लिये राज्यपाल और राष्ट्रपति पास आने वाली दया याचिकाओं के निपटारे के लिये एक समय सीमा निर्धारित की जाये। ऐसा करके ही कानून के शासन के तहत घृणित अपराध के लिये मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों की सजा पर एक निश्चित समय के भीतर अमल सुनिश्चित किया जा सकेगा और समाज को भी यह भरोसा दिलाया जा सकेगा कि इस तरह के अपराध करने वाला कोई व्यक्ति सजा से बच नहीं सकता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

■

6. रोहिंग्या समुदाय पर आईसीजे के निर्णय का निहितार्थ

चर्चा का कारण

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने हेतु कहा है। गौरतलब है कि मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश गांबिया ने 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से आईसीजे में रोहिंग्या समुदाय पर म्यामांर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में याचिका दायर की थी।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में क्या

- 17 न्यायाधीशों वाली आईसीजे पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए।
- पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने म्यांमार को चार महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक छह महीने पर म्यांमार अपनी रिपोर्ट तब तक सौंपता रहेगा जब तक यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।
- कोर्ट ने म्यांमार सरकार से यह भी कहा है कि वे रोहिंग्या समुदाय को सैनिकों के अमानवीय जुल्म से बचाने तथा जबरन अपना घर छोड़ने हेतु मजबूर किए जाने जैसी घटनाओं को तुरंत रोके।

रोहिंग्या समुदाय व उनका इतिहास

रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के अराकाना या रखाइन प्रांत में रहते हैं। इस प्रांत की राजधानी सितवे है जहां भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बना रखा है। रोहिंग्या वहां पर आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मीज भाषा की जगह बंगाली भाषा की एक बोली बोलते हैं। रोहिंग्या म्यांमार में सदियों से रह रहे हैं, लेकिन म्यांमार का मानना है कि ये वे लोग हैं जो म्यांमार में वहां के उपनिवेशीय शासन के दौरान आए थे, इसलिए म्यांमार सरकार ने सन् 1962 के राष्ट्रीय कानून के उपबंधों के कारण रोहिंग्या समुदाय को अभी तक पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दिया है। विदित हो कि बर्मा का नागरिकता कानून कहता है कि एक नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक रोहिंग्या म्यांमार की नागरिकता पाने योग्य तभी होगा जब महिला या पुरुष रोहिंग्या इस बात का सबूत दे कि उसके पूर्वजों ने म्यांमार में वर्ष 1823 के पहले निवास किया था। चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए उन्हें वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वे म्यांमार की प्रशासनिक सेवा के भी अंग नहीं बन सकते, साथ ही वे भाषायी शोषण के भी शिकार हैं। उल्लेखनीय है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जून, 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार के सैनिक जहाँ रोहिंग्या महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वहीं सैन्य बलों ने वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों तक को नहीं बख्शा है। इसके अतिरिक्त रखाइन प्रांत में उनके आवाजाही पर भी पाबंदियाँ लगा दी गयी हैं।

आज रोहिंग्या मुद्दा विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है जिसको लेकर म्यांमार, बांग्लादेश और भारत आमने-सामने हैं, ऐसे में रोहिंग्या संबंधित विवाद को समझना जरूरी हो जाता है जिसके मूल में रोहिंग्या समुदाय का अपना एक इतिहास रहा है।

गौरतलब है कि आठवीं शताब्दी में रोहिंग्या एक स्वतंत्र साम्राज्य अराकान में रहते थे, जिसे आज रखाइन कहा जाता है। नौवीं से चौदहवीं

शताब्दी के बीच रोहिंग्या समुदाय अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम के संपर्क में आया और अराकान और बंगाल के बीच मजबूत संबंध विकसित हुए। सन 1784 में बर्मा (आधुनिक म्यांमार) के राजा ने स्वतंत्र अराकान पर कब्जा कर लिया और हजारों शरणार्थी (जिन्हें आज रोहिंग्या कहा जाता है) बंगाल भाग गए। 1790 में हिरम कॉक्स नामक ब्रिटिश राजनयिक को इन शरणार्थियों की मदद के लिए भेजा जिसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार शहर का निर्माण किया। आज भी वहां खासी तादाद में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। कालांतर में ब्रिटेन ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और उसे म्यांमार के रूप में ब्रिटिश भारत का प्रांत बनाया। बर्मा से श्रमिकों ने ब्रिटिश भारत के कई भागों में काम-धंधे की तलाश में पलायन किया और इस तरह रोहिंग्या भारत से भी जुड़ गए। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर हमला किया और वहां से अंग्रेजों को निकाल दिया। तब जैसे ही अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की, बर्मा के राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम समुदायों पर हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 1948 में बर्मा की नई सरकार और रोहिंग्या लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। बहुत से रोहिंग्या चाहते थे कि अराकान मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान में मिल जाए। इस पर बर्मा सरकार ने रोहिंग्या लोगों को देश निकाला दे दिया वहीं सिविल सैनिक के रूप में नियुक्त रोहिंग्या बर्खास्त कर दिए गए। पचास के दशक में रोहिंग्या समुदाय ने सशस्त्र समूह के जरिए बर्मा सरकार का प्रतिकार करना शुरू किया। 1962 में अंततः जनरल नी विन सत्ता में आए और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई गई। 1977 में बर्मा की सैन्य सरकार- जुंटा ने रोहिंग्या की आबादी और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कई बड़े अभियान छेड़े और दो लाख रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पडा।

साल 1989 में बर्मा का नाम बदल कर म्यांमार कर दिया गया। 1991 में ढाई लाख रोहिंग्या लोगों को म्यांमार छोड़ कर भागना पड़ा। बाद में बांग्लादेश के साथ एक प्रत्यावर्तन समझौते के जरिए 1992 से 1997 के बीच दो लाख से ज्यादा रोहिंग्या रखाइन क्षेत्र में पहुंचे। यहां आने के बाद इनका रखाइन के बौद्धों से संघर्ष शुरू हो गया। सन 2012 में दोनों समुदायों के बीच खूनी संघर्ष में सौ लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश रोहिंग्या थे। इस घटना के बाद हजारों रोहिंग्या फिर बांग्लादेश भागे। वर्ष 2016 में रोहिंग्या समूह हाराकाह अल यकीन ने म्यांमार में बॉर्डर गार्ड पोस्ट्स पर हमलाकर नौ सैनिकों को मार दिया। इसके बाद म्यांमार की सेना ने दमन शुरू किया और फिर हजारों रोहिंग्या बांग्लादेश की शरण में पहुंचे।

म्यांमार पर आरोप क्या

- बर्मा नागरिकता कानून, 1982 द्वारा रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित किया गया है। जानकारों का मानना है कि सरकार की इनके प्रति नीति भेदभावपूर्ण है।
- म्यांमार सरकार द्वारा विवाह, परिवार नियोजन, धार्मिक चयन, शिक्षा, रोजगार, आदि की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाकर रोहिंग्या समुदायों के साथ भेदभाव किया गया है।
- रखाइन प्रांत म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है जहाँ अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया गया हैं।
- म्यांमार की खराब आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत आदि देशों में रोहिंग्या समुदायों का पलायन बढ़ा है।

भारत में रोहिंग्या समुदाय

- गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग चालीस हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। भारत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने के लिए प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते की तलाश में है।
- आज दक्षिण एशिया में शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस प्रकार भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग है। दरअसल भारत ने असम में भारी तादाद में बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थियों और उनसे पैदा होने वाली चुनौतियों को काफी झेला है। रोहिंग्या के संदर्भ में सुरक्षा संबंध का एक अलग और बड़ा आयाम है। इस संकट में तीन राष्ट्रों के हित प्रभावित हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव न उभरने देने के लिए यह जरूरी है कि भारत रोहिंग्या के प्रत्यावर्तन पर ठोस कदम उठाए।
- समस्या का एक पहलू यह भी है कि दक्षिण एशिया की सीमाएँ प्रमुख रूप से विखंडित हैं तथा इनके नियंत्रण के लिये सक्षम व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का मानव संघर्ष अथवा संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत की ओर प्रस्थान होगा।
- इस प्रकार की स्थिति प्रमुख रूप से दो समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। प्रथम, इस क्षेत्र के संसाधन तथा बुनियादी ढाँचा इतना मजबूत नहीं है कि अचानक बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण दे सके। दूसरा, यह भारत की जनसांख्यिकीय को भी प्रभावित करेगा।

रोहिंग्या समुदाय के प्रति वैश्विक रुख

रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में वैश्विक रुख को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रखाइन प्रांत में हिंसा की निंदा की है और रोहिंग्या आबादी के साथ की जा रही भीषण नृशंसता को समाप्त कराने के लिए मानवीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
- हालांकि म्यांमार ने कहा है कि उसकी सरकार ने रखाइन प्रांत में हुई हिंसा व रोहिंग्या समुदाय के प्रति हुई बर्बरता पर आरोपों की पहले ही जांच कराई है और मानवाधिकार संगठनों की ओर से लगाए जा रहे रोहिंग्या नरसंहार के आरोप को बेबुनियाद पाया है।
- हालांकि म्यांमार ने यह जरूर माना कि हिंसा के दौरान होने वाले अपराध, मानवाधिकारों की गंभीर अनदेखी और गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतें जरूर सही पायी गई हैं।
- वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने आईसीजे के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय की जीत बताया है। विदित हो कि बांग्लादेश लगातार म्यांमार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह मामला उठाता रहा है और ढाका के कॉक्स बाजार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने के लिए म्यांमार पर दबाव डालता रहा है।
- अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। इस संदर्भ में उसने कुछ समय पूर्व ही रोहिंग्या शरणार्थियों के

मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में म्यांमार के सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग हलाइंग पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमेरिका के अनुसार, म्यांमार के सैन्य बलों ने नियम-कानूनों और मानवाधिकारों को ताक पर रखकर रोहिंग्या शरणार्थियों की नृशंस हत्याएँ तथा अत्याचार को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ऐसे लोगों को संरक्षण ही दिया है। इस घोषणा के साथ ही अमेरिका प्रथम देश बन गया है जिसने सार्वजनिक स्तर पर म्यांमार सेना के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है।

- रूस के अनुसार यह आदेश रोहिंग्या समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है। इस दिशा में और पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है।
- इस पूरे मामले पर चीन का अपना अलग रुख रहा है। चीन ने रखाइन में युद्ध विराम, रोहिंग्या शरणार्थियों के म्यांमार-प्रत्यावर्तन के लिये द्विपक्षीय समझौता (बांग्लादेश-म्यांमार), रोहिंग्या इलाकों के विकास के अतिरिक्त दीर्घकालिक उपायों की खोज पर बल दिया है। स्मरणीय हो कि चीन द्वारा इस मुद्दे में रुचि दिखाने की वजह रखाइन क्षेत्र के अंतर्गत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 10 अरब डॉलर का आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा शामिल होना है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में शरणार्थी संकट विश्व के समक्ष पिछली एक शताब्दी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में रोहिंग्या संकट को मानवीय चिंता या आतंकवादी गतिविधि के परिणाम के रूप में सूचीबद्ध करने से लाखों लोगों के विस्थापित होने की सच्चाई नहीं बदलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी पुख्ता शरणार्थी नीति तैयार की जाए, जो न केवल वर्तमान संकट में कमी लाए, बल्कि इसे प्रभावित देशों को भविष्य में होने वाली इसी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए एक खाका भी प्रदान कर सके। इस संदर्भ में निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- रोहिंग्या संकट अत्यंत त्रासदीपूर्ण है जिसके समाधान के लिये म्यांमार सरकार को मानवीय पहलुओं का ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रयास करने चाहिये। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक यथार्थवादी, व्यावहारिक समाधान के लिये योजना बनानी चाहिए।
- इस समस्या के समाधान के लिये प्रभावित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिये जिससे मानवीय गरिमा, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुरूप नीति का विकास कर लोगों की मदद की जा सके। विदित हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अनेक वैश्विक शक्तियों, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे म्यांमार के पड़ोसी देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रक्षा की जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत म्यांमार सरकार पर अपने लोगों की रक्षा के लिये दबाव डाल सकता है। जिसके तहत वह ऐच्छिक वापसी, जिसके अंतर्गत शरणार्थी सुरक्षित एवं स्वेच्छापूर्वक अपने मूल देश वापस जा सके स्थानीय एकीकरण, जिसके माध्यम से शरणार्थी स्थानीय समाज के सदस्य बन सके साथ ही पुनर्वास, जिसके अंतर्गत शरणार्थियों को स्थायी रूप से किसी तीसरे देश में बसाया जा सके इस पर बल दिया जाना चाहिए।
- जिस देश में शरणार्थियों को हानि पहुंचने की आशंका हो, उन्हें वहां जबरन नहीं भेजे जाने संबंधी सिद्धांत का पालन करते हुए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए -
  - रोहिंग्या शरणार्थियों की आबादी की जनगणना कराना साथ ही देश में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करना।
  - इस कदम से इस समस्या के आकार की रूपरेखा पता चल सकेगी। वहीं इस स्थिति के साथ जुड़ी सुरक्षा चिंताओं से निपटने से सीमा सुरक्षा में सुधार आएगा तथा अवैध प्रवासन को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- रोहिंग्या संकट का मूल कारण म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, रखाइन म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है, जहां गरीबी दर 78 प्रतिशत है, जबकि गरीबी दर का राष्ट्रीय औसत 37.5 प्रतिशत है। रखाइन में व्यापक गरीबी, खराब बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच दरार और चौड़ी हो गई है। इसलिए, इस संकट को सही मायने में रोकने के लिए इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

7. भारत में बालिकाओं की दशा : सुधार की आवश्यकता

चर्चा का कारण

भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है। लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने और परिवार एवं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

परिचय

भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाने के पीछे का कारण यह है कि इसी दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महिला की शक्ति को पूरी दुनिया में बताने के लिए देश में इस दिन को बड़े जोर-शोर से मनाया जाता है। गौरतलब है कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिंग अनुपात में काफी गिरावट आई है जिसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बच्चों के लिंग अनुपात में हो रहे गिरावट को रोकना होगा।

देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम के एक सर्वे के माध्यम से पता चला है कि 6 से 14 साल तक की लड़कियाँ अपना अधिकतर समय अपने घर में व्यतीत करती हैं जिसके कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती

हैं, यही नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा भी एक सर्वे बालिकाओं पर करवाया गया जिसमें पता चला कि 6 साल से लेकर 10 साल की 25% बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने के बजाय स्कूल छोड़कर घरेलू कार्य करने लगती हैं। इसके अलावा 10 साल से लेकर 13 साल तक की सभी बालिकाओं में से 50% बालिकाएं स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कुछ लड़कियाँ पैसों की तंगी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं तो कुछ लड़कियाँ परिवार के कहने पर स्कूल छोड़ने पर मजबूर होती हैं। इन्हीं सब वजहों से बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

महत्वपूर्ण आँकड़े

यदि वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात की स्थिति को देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में बालिका लिंगानुपात मामले में 153 देशों में भारत का स्थान 149वाँ है, जबकि वर्ष 2018 में यह 108वें स्थान पर था। विदित हो कि देश में 100 लड़के पर महज 91 लड़कियाँ हैं। लिंगानुपात के मामले में नेपाल 101वें और बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व के मामले में भारत में बालिका और बालकों के बीच बराबरी लाने में लगभग 257 साल लगेंगे जो एक लम्बा सफर है।

देश में बेटियों के प्रति अलग तरह की मानसिकता ने समाज के साथ-साथ खुद बेटियों के आत्मविश्वास को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप उनके मन में असुरक्षा और असुविधा की भावना घर कर गई है। इसी कारण इस दिन उनके अस्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं। इन कई समस्याओं में काफी सुधार हुआ है।

सरकारी प्रयास

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बालिकाओं के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाः 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ "कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो" है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है। लड़कियों की सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिये इस योजना को आरंभ किया गया है।

इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में किया था। इस योजना का आरंभ हरियाणा में इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ उस समय 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियाँ ही थीं। अर्थात देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही है। इस योजना को शुरूआत में पूरे देश के 100 जिलों में जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात खराब था वहाँ पर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया और आगामी वर्षों में इसे पूरे देश में लागू किया गया।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजनाः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने अपने कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए अतिरिक्त 100 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना को मंजूरी दी। ये ओएससी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गयी हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। इसे निर्भया फंड से वित्तपोषित किया जाता है। इन ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित बालिकाओं / महिलाओं के लिए एक छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक -सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, 5 दिनों के लिए अस्थायी प्रवास जैसे एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना है।

अब तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 182 केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों ने 33 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में हिंसा से प्रभावित 1.3 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

धनलक्ष्मी योजनाः कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनलक्ष्मी योजना 2008 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड में स्वीकृत किया गया था।

बालिका संरक्षण योजनाः इस योजना को 8 मार्च, 2005 को महिला एवं बाल विकास और विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। बालिका संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना और महिला उत्पीड़न के साथ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना है। यह योजना गर्भवती महिला के अधिकारों की सुरक्षा में मदद करती है और बालिका को सामाजिक और वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करती है। यह योजना गरीब परिवार की बालिकाओं को सहायता प्रदान करती है और उनकी शिक्षा में सहायता करती है। हर बालिका को सरकार 50,000 रुपये की एक निश्चित जमा राशि प्रदान की जाती है और परिवार में दो लड़कियाँ होने पर दोनों को 25,000 रूपये प्रदान किया जाता है।

लाडली लक्ष्मी योजनाः मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2007 में की थी। एक दशक से अधिक पुरानी इस योजना के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बाद इस योजना को 6 अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ लागू किया है। बालिकाओं के साथ भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली (Ladli) योजना शुरू की थी। लाडली (Ladli) योजना के तहत बच्चियों को कुल 35000-36,000 रुपये की सरकारी मदद चरणबद्ध तरीके से मिलती है जो बच्ची के 18 साल का होने तक बैंक में जमा रहती है।

भाग्यलक्ष्मी योजनाः जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश ने पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। राज्य सरकार की इस पहल से कन्या भ्रूणहत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। भाग्यलक्ष्मी योजना को 'मनी फॉर गर्ल चाइल्ड' योजना के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ योजना की तर्ज पर शुरू भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार में बेटी के

जन्म पर 50,000 रुपये का बांड बेटी के नाम पर दिया जाता है। भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत साल 2006-2007 में ही हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाग्य लक्ष्मी योजना में मदद की रकम बढ़ा दी गई है।

यही नहीं इस तरह की और कई योजनाएँ राज्यों द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे- रक्षक योजना (पंजाब), बालिका समृद्धि योजना (गुजरात), बेटी है अनमोल योजना (हिमाचल प्रदेश), मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (बिहार), मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार), कुंअरबाइनू ममेरू योजना (गुजरात), इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना (हिमाचल प्रदेश) तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (मध्य प्रदेश) आदि।

चुनौतियाँ

सरकार द्वारा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चलाये गये इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी देश में बालिकाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-

- **शिक्षा:** शिक्षा जो बालिकाओं के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उसमें भी ये अभी पीछे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में तो कुछ सुधार हुआ है लेकिन उच्च शिक्षा में उनका नामांकन अभी भी अपेक्षाकृत कम है।
- **रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता:** पुरुषवादी सोच और रूढ़िवादी मानसिकता बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास में एक बड़ी बाधा है। लोगों की यह सोच कि लड़कियाँ पराया धन हैं तथा शादी के बाद उन्हें दूसरे घर में जाना है, इससे लड़कों के सापेक्ष लड़कियों पर ध्यान कम दिया जाता है। इसी कारण लड़कियों को गृहकार्य तथा अर्थोपार्जन संबंधी गतिविधियों में लगाया जाता है।
- **स्वास्थ्य:** बालिकाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो भारत की लगभग 60% बालिकाएँ आयरन की कमी, कुपोषण, आदि जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। इसका प्रमुख कारण लड़कों तथा लड़कियों के बीच भेदभाव है। जहाँ लड़कों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है वहीं लड़कियों को पेटभर भोजन तक नहीं मिलता है।
- **आधारभूत संरचना का अभाव:** देशभर में बालिकाओं के लिए आधारभूत संरचना की कमी हर जगह देखी जाती है चाहे वह घर हो, स्कूल हो या पर्यटक स्थल। यही कारण है कि बालिकाएँ घर से बाहर जाने में संकोच महसूस करती हैं। पर्याप्त शौचालय का न होना तथा महिला शिक्षकों की कमी, स्कूल में महिला कर्मचारियों की कमी आदि कहीं न कहीं लड़कियों को स्कूल से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- **तकनीक का दुरुपयोग:** तकनीक मानव के विकास में अहम रोल अदा करता है, लेकिन जब इस तकनीक का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो मानव को विकास की जगह विनाश की ओर ले जाती है।

विश्लेषण

भारत में बालिकाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं उदाहरण स्वरूप खेल, राजनीति, उद्योग आदि। एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतना हो या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर देश सेवा करने का काम हो। लेकिन इसके उपरान्त आज भी वह अनेक समस्याओं की शिकार हैं। ये समस्याएँ उसके आगे बढ़ने में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं हैं। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है या जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। आज भी समाज में कई घर ऐसे हैं, जहाँ बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5 प्रतिशत औरतें ऐसी हैं, जिनकी शादी 18 साल से पहले हुई हैं। इन 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 22 प्रतिशत औरतें ऐसी हैं, जो 18 साल से पहले माँ बनी हैं। इन कम उम्र की किशोरियों से 73 प्रतिशत बच्चे पैदा हुए हैं। इन बच्चों में 67 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

देश में वर्ष 1961 से ही बाल लिंगानुपात तेजी से गिरता रहा है। हम वर्ष 2020 में हैं और 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके है, लेकिन हम आज भी विचारधारा को बदलने में काफी हद तक सफल नहीं हुए हैं। भारतीय समाज में सभी वर्गों के लोग बेटा होने की इच्छा रखते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें बेटी हो।

लड़कियों द्वारा अनेक क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियाँ हासिल करने के बावजूद भारत में जन्म लेने वाली अधिकतर लड़कियों के लिए यह वास्तविकता है कि लड़कियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों और बाल विवाह से सुरक्षा के अधिकार से वंचित हैं। परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। जनगणना आंकड़ों के अनुसार बाल लिंगानुपात 1991 के 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया और इसमें फिर 2011 में गिरावट आई और बाल लिंगानुपात 918 रह गया। यह दिखाता है कि लिंग आधारित चयन के माध्यम से जन्म से पहले भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है और जन्म के बाद भी भेदभाव का सिलसिला जारी रहता है। भारत में अगर लिंग अनुपात देखा जाए तो बेहद निराशाजनक है। अगर हम राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों पर नजर डालें तो यहाँ हालात और भी भयावह हैं।

जाहिर है लिंगानुपात कम होने का कारण प्राकृतिक नहीं है। यह एक मानव निर्मित समस्या है, जो कमोबेश देश के सभी हिस्सों, जातियों, वर्गों और समुदायों में व्याप्त है। भारतीय समाज में व्याप्त लड़कियों के प्रति नजरिया, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक-आर्थिक दबाव, असुरक्षा, आधुनिक तकनीक का गलत इस्तेमाल इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। समाज में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी बेटी पैदा होते ही उसके लालन-पालन से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। महंगी होती शादियों के कारण बेटी का पिता हर समय इस बात को लेकर फिक्रमन्द नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी।

आगे की राह

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि आधुनिक वैश्विक समाज में पुरुष तथा महिला एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इसमें से एक भी पहिये के खराब होने से इस सांसारिक गाड़ी को सर्वोत्तम तरीके से आगे बढाना कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं शैक्षिक माहौल प्रदान करना होगा। यदि राष्ट्र को उन्नति के

रास्ते पर ले जाना है तो महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में सुधार करना होगा। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के समय में बालिकाओं की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, बालिकाओं की साक्षरता स्तर बढ़ा है किन्तु अभी उन्हें उच्च-शिक्षित करना शेष रह गया है।

बालिकाओं का व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने का कार्य शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जाए जिससे बालिकाओं को विद्यालय जाने में सुविधा हो। बालिकाओं को न सिर्फ शैक्षिक स्तर पर बल्कि सुरक्षा के स्तर पर भी मजबूत बनाना होगा जिससे कि उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस दिवस को मनाने का कोई फायदा नहीं होगा और यह भी सिर्फ एक समारोह की तरह बनकर रह जाएगा। अन्ततः हम यही कहेंगे कि बालिका के विकास हेतु हम चार कदम (आधा रास्ता) चल चुके हैं और चार कदम चलना बाकी है जिसे तीव्र गति के साथ चलकर पूरा किया जाये जिससे हमारा राष्ट्र विश्व के अग्रणी देशों की बराबरी में आ खड़ा हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. ब्रू शरणार्थी समझौता : सफल क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

प्र. हाल ही में 'ब्रू' शरणार्थियों के लिए चतुर्पक्षीय समझौता उनकी समस्याओं का किस हद तक समाधान कर सकता है? चर्चा कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 'ब्रू शरणार्थियों' को त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाने के लिए त्रिपुरा, मिजोरम और "ब्रू रियांग" प्रतिनिधियों के बीच चतुर्पक्षीय समझौता किया है।

समझौते के मुख्य बिंदु

- नए समझौते के अनुसार, लगभग 35,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इनके पुनर्वास में मदद करने के लिये सहायता दी जाएगी।
- इस समझौते के मुताबिक अब केंद्र सरकार विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 40×30 वर्ग फीट की आवासीय प्लॉट देगा साथ ही घर बनाने के लिए इन्हें जगह और डेढ़ लाख रुपये की मदद देगी।
- प्रत्येक व्यक्तिगत भू-खंड 2,500 वर्ग फीट का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को आजीविका हेतु प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद तथा अगले दो वर्षों तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।

इस समझौते से लाभ

- इस समझौते से लगभग 23 वर्षों से चली आ रही मानवीय समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकेगा।
- इस समझौते से दो राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम के बीच विवाद का अंत हो जाएगा।

ब्रू जनजाति कौन हैं

- ब्रू जनजातियों को रियांग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि गृह मंत्रालय ने चेंचू, बोडो, गरबा, असुर, कोतवाल, बैगा, बोंदो, मारम नागा, सौरा जैसे 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, रियांग उनमें से एक हैं। "ब्रू" पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजाति समूह है। मिजोरम के अधिकांश 'ब्रू' जनजाति के लोग मामित और कोलासिब जिलों में रहते हैं।

ब्रू समुदाय के लिए सरकार द्वारा पूर्व में किए गये प्रयास

- 1997 में मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित होने के बाद से ही भारत सरकार ब्रू-शरणार्थियों के लिए स्थायी पुनर्वास के प्रयास करने में लगी रही है।
- "ब्रू" जनजाति की वापसी के लिए केंद्र सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के मध्य कई दौर की बातचीत हुई है। वर्ष 2010 में पहली बार लगभग 1600 परिवारों के साढ़े आठ हजार ब्रू लोगों को वापस मिजोरम बसाया गया लेकिन मिजो समूहों के विरोधके पश्चात इस पर आगे कार्य नहीं हो सका।

आगे की राह

- पूर्वोत्तर की अन्य जनजातियों के समान ब्रू भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कुछ वर्षो से अत्यधिक समस्याओं तथा असुरक्षा का सामना कर रही है। सरकार द्वारा इस जनजाति के पुनः प्रत्यावर्तन के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। वर्तमान समय में सरकार ने इनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की है, जो एक सराहनीय कदम है। ■

2. ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट 2020 : एक विश्लेषण

प्र. "बढ़ती आर्थिक असमानता एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है।" ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में ऑक्सफैम ने 'टाइम टू केयर' रिपोर्ट (Oxfam's Time To Care Report) जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के एक प्रतिशत अमीरों के पास 70 फीसदी आबादी के मुकाबले चार गुना ज्यादा धन है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विश्व के 2153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है अर्थात् इन अरबपतियों की संपत्ति दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति से ज्यादा है।

परिचय

- बढ़ती आर्थिक असमानता के संदर्भ में पिछले एक दशक में प्रमुख शिक्षाविदों, विद्वानों, अर्थशास्त्रियों यहाँ तक कि IMF जैसे मुख्य धारा के आर्थिक संस्थानों ने असमानता के घातक प्रभावों के मजबूत सबूत पेश किए हैं। इस असमानता से प्रभावित समुदायों, कार्यकर्त्ताओं, महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों तथा असमानता की खाई को कम करने के पक्षधर नेताओं ने दुनिया भर में असमानता कम करने के लिए तथा बदलाव लाने के लिए आवाजें बुलंद की हैं तथा इसके लिए अभियान भी चलाए हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि दुनिया के अधिकांश नेता

अभी भी ऐसी नीति/ऐजेंडों का ही पालन कर रहे हैं जिससे संसाधन संपन्न तथा संसाधन हीन के मध्य आर्थिक खाई को बढ़ावा मिला है।

ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- भले ही 2019 में वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की कुल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या में तेजी आयी है।
- दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की तुलना में दोगुने से भी अधिक संपत्ति है।
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में आय की दृष्टि से गरीबी की चपेट में ज्यादा हैं, वहीं अत्यधिक गरीबी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है जो वर्तमान समय में 4% है।

भारत में असमानता की स्थिति

- ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट के अनुसार, 63 भारतीय अरबपतियों की संयुक्त रूप से कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी केंद्रीय बजट से भी अधिक है, जो भारतीय मुद्रा में कुल 24,42,200 करोड़ थी।
- देश के एक फीसदी अमीरों के पास 70 फीसदी आबादी के मुकाबले चार गुना ज्यादा धन है।
- यदि हम आँकड़ों पर प्रकाश डालें तो यह ज्ञात होता है कि एक घरेलू कामगार महिला को किसी तकनीकी कंपनी के CEO के समान वेतन प्राप्त करने में 22,277 वर्ष लगेंगे, ये आँकड़ा असमानता की चरम स्थिति को दर्शाता है।

असमानता : मुद्दे और चुनौतियाँ

- ऑक्सफैम के मुताबिक लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि शीर्ष पर स्थित मुट्ठी भर लोगों के पास धन का संकेद्रण है। वर्तमान में अरबपतियों की संख्या में पहले से कहीं अधिक वृद्धि हुई है साथ ही उनकी आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
- दूसरी तरफ गरीब और भी गरीब होता चला गया है। विश्व की अनेक सरकारें इस असमानता को नजरअंदाज कर रही हैं। बड़े-बड़े निगमों तथा धनी लोगों से कर की वसूली कम की जाती है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं से विश्व की अधिकांश जनसंख्या वंचित है।
- इन नीतियों की वजह से गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अवैतनिक देखभाल कार्य के माध्यम से महिलाएँ समाज/अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, बावजूद इसके महिलाएं उन लोगों की सूची में शामिल हैं जो वर्तमान समय की आर्थिक व्यवस्था से कम से कम लाभान्वित हो रही हैं।

आगे की राह

- अर्थ की अंधी दौड़ ने व्यक्ति को संग्रह, सुविधा, सुख, विलास और स्वार्थ से जोड़ दिया। इस प्रक्रिया में सारी सामाजिक मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, मर्यादाओं को ताक पर रखकर कैसे भी धन एकत्र कर लेने को सफलता का मानक माने जाने लगा है जिससे राजनीति, साहित्य, कला, धर्म सभी को पैसे की तराजू पर तोला जाने लगा है। इस प्रवृत्ति के बड़े खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं।
- अब तक के देश की आर्थिक नीतियां और विकास का लक्ष्य कुछ लोगों की समृद्धि में चार चांद लगाना हो गया है। चंद लोगों के हाथों में समृद्धि को केन्द्रित कर भारत को महाशक्ति बनाने का सपना भी देखा जा रहा है। संभवत: यह महाशक्ति बनाने की बजाय हमें कमजोर राष्ट्र के रूप में आगे धकेलने की तथाकथित कोशिश है। हमारे देश में जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगों के हाथों में ही बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जाये, पूंजी का वितरण ऐसा होना चाहिए कि विशाल देश के लाखों गांवों को आसानी से उपलब्ध हो सके। ■

3. वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एवं भारत : एक अवलोकन

प्र. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, भारत के लोकतंत्र में गिरावट आयी है। देश में वास्तविक स्थिति के संदर्भ में इस रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (Economist Intelligence Unit-EIU) ने वर्ष 2019 के लिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है।

परिचय

- इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैमानों पर किया गया है जो निम्नलिखित है-
  1. चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Electoral Process and Pluralism)
  2. सरकार की कार्यशैली (The Functioning of Government)
  3. राजनीतिक भागीदारी (Political Participation)
  4. राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
  5. नागरिक आजादी (Civil liberties)

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के मुख्य बिंदु

- इस सूचकांक में 167 देशों में केवल 22 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक देश बताया गया है।
- इस सूचकांक में नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीडन क्रमश: 9.87, 9.58, 9.39 अंकों के स्कोर के साथ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर है।

सूचकांक में भारत की स्थिति

- इस रिपोर्ट में भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया समूह में भारत को आठवाँ स्थान मिला है।
- इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी का आशय ऐसे देशों से है जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है लेकिन लोकतंत्र के पहलुओं में विभिन्न समस्याएँ है, जैसे- शासन में समस्याएँ, एक अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर आदि।

रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल

- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, मानक अनुसंधान संस्थानों तथा विश्व विद्यालयों के रिपोर्ट के विपरीत, 'द इकोनॉमिस्ट' एक राजनीतिक

पत्रिका है, जो वर्तमान वैश्विक विषयों/मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है साथ ही टिप्पणी भी करती है। जानकारों का मानना है कि एक राजनीतिक पत्रिका होने के नाते यह पत्रिका पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती है।

विशेषज्ञों के सुझाव

- उल्लेखनीय है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय लोगों की स्वाभाविक पसंद है और कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी, अगर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक निश्चित पहलू पर एक सरकार के रूप में और सुधार करने की आवश्यकता है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए।
- हालांकि संसाधनों और तकनीकी उन्नयन द्वारा सीमित, तथा सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि एक अलोकप्रिय परंतु आवश्यक नीतिगत कार्यान्वयन के दौरान भी प्रतिबंध न्यूनतम हो।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आजादी के 71 साल के बाद भी देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कृषि संकट आदि समस्याएँ विद्यमान हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपसी सामंजस्य आवश्यक है। ■

4. आईएनएफ संधि की समाप्ति से हथियारों की होड़ संभव

प्र. 'अमेरिका का INF संधि से बाहर निकलना परमाणु निरस्त्रीकरण के समक्ष एक नयी चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं।' समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

संदर्भ

- अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90 प्रतिशत से भी अधिक परमाणु हथियार हैं। आईएनएफ संधि (The Intermediate Range Nuclear Forces Treaty) की वजह से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगी थी। परन्तु 2 अगस्त, 2019 को अमेरिका ने रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि से खुद को औपचारिक रूप से अलग करने का ऐलान किया।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच संधि

- अमेरिका के INF संधि से बाहर आने के पश्चात ही अमेरिकी सेना ने जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के सामने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। यह मिसाइल सैन निकोलस द्वीप पर एक लॉन्चर से छोड़ा गया, जो लॉस एंजिलिस, कैलिफोर्निया के तट से एक नौसैनिक परीक्षण स्थल और प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा विभाग भविष्य में मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए कर सकता है।

चीन की मंशा एवं INF संधि

- कई पश्चिमी रक्षा विश्लेषक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि चीन ने बड़े पैमाने पर जमीन से छोड़े जाने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइलें बनाई हैं, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से ताइवान की मोर्चाबंदी, गुआम द्वीप के साथ अमेरिका के अन्य प्रमुख ठिकानों को लक्षित करना और एशिया में अमेरिका के सहयोगियों को डराना-धमकाना है। चीन की इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नौ सैनिकों को इस क्षेत्र में आने से रोकना भी है। परमाणु हथियार ले जाने वाली इन मध्यम दूरी की मिसाइलों से चीन एशिया में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों को डराना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों की संख्या और न बढ़े।

जानकारों की राय

- यदि शस्त्र नियंत्रण को लेकर जल्द सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो अब से लगभग एक साल बाद परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली कोई भी संधि नहीं रहेगी। अब दुनिया ऐसे चौराहे पर आ गई है, जहां हथियार नियंत्रण के वो सारे तंत्र बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें योजनाकारों ने परमाणु युद्ध के खतरों से दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। आज हथियार नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था की सख्त जरूरत है।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत को परमाणु नियंत्रण के मामले में बदले हुए हालात को निकटता से समझना होगा। उसे इनके मुताबिक तैयारी करनी होगी। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, नई तकनीकों के विकास, प्रमुख शक्तियों के अपने हित और राजनीतिक इच्छा शक्तियों की कमी से हथियार नियंत्रण व्यवस्था कमजोर पड़ रही है।

निष्कर्ष

- मिसाइलों की होड़ शुरू होने पर अमेरिका, रूस, चीन या उभरती हुई कोई अन्य महाशक्ति तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते, जब तक कि संबंधित देश इसे रोकने के लिए संधि की पहल नहीं करते और आपसी विश्वास बहाली के लिए मिलकर कोई रास्ता नहीं निकालते। इसके साथ ही रूस और अमेरिका दोनों को न्यू स्टार्ट संधि की समयसीमा बढ़ाने पर भी गौर करना चाहिए। ■

5. मृत्यु दण्ड : अंतहीन उपचार की उपलब्धता?

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "सर्वोच्च न्यायालय को दोषियों के अधिकारों के बजाय पीड़ितों के हित को ध्यान में रखना चाहिए।" अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि मौत की सजा पर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार की याचिका में क्या

- गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका में मौत की सजा के मामलों में कानूनी प्रावधानों को 'दोषी केंद्रित' के बजाए 'पीड़ित केंद्रित' करने की अपील की है। अर्थात् मौत की सजा के मामलों में

तय गाइडलाइंस को दोषी की जगह पीड़ित को ध्यान में रखते हुए बदला जाए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान कानून के गाइडलाइंस दोषी व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके कारण वे सजा टालने के लिए कानूनी प्रावधानों से खिलवाड़ करते हैं।

क्या है क्यूरेटिव पिटीशन

- क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन उस मुजरिम के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिसके जरिए वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है।
- क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है, इसमें फैसला आने के बाद मुजरिम के लिए आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं।

मृत्यु दण्ड एवं कानून पेंच

- अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा मिली है और इनमें से एक भी दोषी फांसी के विरुद्ध अपील करता है तो इस स्थिति में सभी दोषियों की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता।

आगे की राह

- उच्चतम न्यायालय ने हमेशा ही संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के मौलिक अधिकार को सबसे उपर रखा है। यही वजह है कि न्यायालय हमेशा यह महसूस करता है कि जीने के मौलिक अधिकार और मौत की सजा के अपरिवर्तनीय होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये मौत की सजा वाले सभी मामलों में पुनर्विचार याचिका के स्तर पर मौखिक सुनवाई दी जानी चाहिए और ऐसा करना न्यायोचित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सीमित सुनवाई की व्यवस्था मौत की सजा से संबंधित उन सभी मामलों में लागू होगी जहां पुनर्विचार याचिका लंबित है या फिर ऐसी याचिका खारिज हो गयी है लेकिन अभी मौत की सजा पर अमल नहीं किया गया है। ■

6. रोहिंग्या समुदाय पर आईसीजे के निर्णय का निहितार्थ

प्र. रोहिंग्या समुदाय के संदर्भ में आईसीजे का फैसला कितना महत्वपूर्ण है? साथ ही बताएं कि वैश्विक जगत को रोहिंग्या समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहिए?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने हेतु कहा है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में क्या

- 17 न्यायाधीशों वाली आईसीजे पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए।
- पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने म्यांमार को चार महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक छह महीने पर म्यांमार अपनी रिपोर्ट तब तक सौंपता रहेगा जब तक यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।

म्यांमार पर आरोप क्या

- बर्मा नागरिकता कानून, 1982 द्वारा रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित किया गया है। जानकारों का मानना है कि सरकार की इनके प्रति नीति भेदभावपूर्ण है।
- म्यांमार सरकार द्वारा विवाह, परिवार नियोजन, धार्मिक चयन, शिक्षा, रोजगार, आदि की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाकर रोहिंग्या समुदायों के साथ भेदभाव किया गया है।
- रखाइन प्रांत म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है जहाँ अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया गया हैं।

भारत में रोहिंग्या समुदाय

- गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग चालीस हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। भारत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने के लिए प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते की तलाश में है।

रोहिंग्या समुदाय के प्रति वैश्विक रुख

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रखाइन प्रांत में हिंसा की निंदा की है और रोहिंग्या आबादी के साथ की जा रही भीषण नृंशसता को समाप्त कराने के लिए मानवीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
- हालांकि म्यांमार ने कहा है कि उसकी सरकार ने रखाइन प्रांत में हुई हिंसा व रोहिंग्या समुदाय के प्रति हुई बर्बरता पर आरोपों की पहले ही जांच कराई है और मानवाधिकार संगठनों की ओर से लगाए जा रहे रोहिंग्या नरसंहार के आरोप को बेबुनियाद पाया है।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में शरणार्थी संकट विश्व के समक्ष पिछली एक शताब्दी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में रोहिंग्या संकट को मानवीय चिंता या आतंकवादी गतिविधि के परिणाम के रूप में सूचीबद्ध करने से लाखों लोगों के विस्थापित होने की सच्चाई नहीं बदलेगी। ■

7. भारत में बालिकाओं की दशा : सुधार की आवश्यकता

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में भारत में बालिकाओं की स्थिति को बताते हुए, इनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण आँकड़े

- यदि वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात की स्थिति को देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में बालिका लिंगानुपात मामले में 153 देशों में भारत का स्थान 149वाँ है, जबकि वर्ष 2018 में यह 108वें स्थान पर था। विदित हो कि देश में 100 लड़के पर महज 91 लड़कियाँ हैं। लिंगानुपात के मामले में नेपाल 101वें और बांग्लादेश 50वें स्थान पर है।

सरकारी प्रयास

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ "कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो" है।
- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना:** इन ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित बालिकाओं / महिलाओं के लिए एक छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक -सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, 5 दिनों के लिए अस्थायी प्रवास जैसे एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना है।
- **धनलक्ष्मी योजना:** कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनलक्ष्मी योजना 2008 में शुरू की गई।
- **लाडली लक्ष्मी योजना:** मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2007 में की थी।
- **भाग्यलक्ष्मी योजना:** जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश ने पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है।

चुनौतियाँ

- **शिक्षा:** शिक्षा जो बालिकाओं के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उसमें भी ये अभी पीछे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है।
- **रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता:** पुरुषवादी सोच और रूढ़िवादी मानसिकता बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास में एक बड़ी बाधा है।
- **स्वास्थ्य:** बालिकाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो भारत की लगभग 60% बालिकाएँ आयरन की कमी, कुपोषण, आदि जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं।

विश्लेषण

- देश में वर्ष 1961 से ही बाल लिंगानुपात तेजी से गिरता रहा है। हम वर्ष 2020 में हैं और 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके है, लेकिन हम आज भी विचारधारा को बदलने में काफी हद तक सफल नहीं हुए हैं। भारतीय समाज में सभी वर्गों के लोग बेटा होने की इच्छा रखते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें बेटी हो।

आगे की राह

- निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि आधुनिक वैश्विक समाज में पुरुष तथा महिला एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इसमें से एक भी पहिये के खराब होने से इस सांसारिक गाड़ी को सर्वोत्तम तरीके से आगे बढाना कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं शैक्षिक माहौल प्रदान करना होगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

व्योममित्र

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी पहली महिला ह्यूमनॉयड (इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट) का पहला प्रोटोटाइप पेश किया है। इस रोबोट का नाम 'व्योममित्र' है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में भेजे जाने वाले मानव अंतरिक्ष मिशन के व्योममित्र, पुरुष अंतरिक्षयात्रियों की मदद करेगी।

1.2 महिला रोबोट गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नहीं जाएगी। इसे सिर्फ गगनयान मिशन के पहले मानवरहित लॉन्चिंग का हिस्सा बनाया जाएगा।

ह्यूमनॉयड या अर्द्धमानव क्या है

2.1 ह्यूमनॉयड एक ऐसा रोबोट होता है, जिसका आकार मानव शरीर जैसा होता है। इसमें मानवीय हाव-भाव समझने की क्षमता होती है।

2.2 सामान्य तौर पर एक ह्यूमनॉयड रोबोट में मानव की ही तरह सिर, धड़ और हाथ-पैर होते हैं, ये इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं। साथ ही पूछे गये सवालों के जवाब भी दे सकते हैं।

2.3 ह्यूमनॉयड में मानव चेहरे की सभी विशेषताएँ जैसे आँखें और पलक झपकना, सिर को हिलाना और बोलना शामिल है। ह्यूमनॉयड के पास खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम डिजाइन से लैस होते हैं।

2.4 ज्यादातर ह्यूमनॉयड रोबोट मानव शरीर के कमर से ऊपर के अंगों की तरह ही डिजाइन किये जाते हैं। ह्यूमनॉयड बनाने के लिए मानव शरीर की संरचना एवं व्यवहार यानी बायो-मैकेनिक्स (Bio-Mechanics) का अध्ययन किया जाता है।

2.5 ये रोबोट हार्डवेयर, बायोमैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर के तालमेल से कार्य करते हैं। ह्यूमनॉयड में सेंसर और एक्चुएटर (Actuator) होते हैं। सेंसर की मदद से इसमें वातावरण समझने, बोलने की क्षमता आती है।

2.6 कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन का सेंसर से नियंत्रण होता है, जबकि एक्चुएटर (यह एक तरह का मोटर होता है) के जरिए चलने फिरने में मदद मिलती है।

व्योममित्र एवं उसके कार्य

3.1 जिस प्रकार अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट तथा रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट और चीन के अंतरिक्ष यात्री को टैक्नॉट कहा जाता है। इसी तर्ज पर भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 'व्योमनॉट्स' नाम दिया है। संस्कृत में 'व्योम' का अर्थ अंतरिक्ष होता है।

3.2 इस रोबोट का नाम संस्कृत के दो शब्दों 'व्योम' (अंतरिक्ष) और मित्र (दोस्त) को मिलाकर 'व्योममित्र' दिया गया है।

3.3 व्योममित्र रोबोट के पैर नहीं हैं। मतलब जरूरतों के मुताबिक सिर्फ इसका धड़ बनाया गया है इसलिए इसे हाफ ह्यूमनॉयड कहा गया है। इस ह्यूमनॉयड रोबोट में मानव शरीर से संबंधित कुछ मशीनें लगी हैं जो अंतरिक्ष में मानव शरीर संरचना पर होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगी।

3.4 व्योममित्र अपने सेंसर के जरिए यह पता करेगी कि गगनयान के कैमरे, स्पीकर, माइक्रोफोन, दिशा निर्धारक यंत्र आदि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं।

रोबोट से अंतरिक्ष यात्रियों को लाभ

4.1 रोबोट की मदद से अंतरिक्ष खोज और अन्वेषण कार्यक्रम मानव के मुकाबले ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि उनके लिए खाने या सोने अथवा बाथरूम जाने के लिए विशेष प्रावधान नहीं करना पड़ता।

4.2 इसके अलावा वो कई सालों तक अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और काम पूरा होने के बाद उन्हें अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है।

4.3 रोबोट किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। उन्हें अत्यधिक तापमान या विकिरण के उच्च स्तर के लिए किसी विशेष सूट की आवश्यकता नहीं होती है।

वैश्विक स्थिति

5.1 गौरतलब है कि 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोबोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद 2013 में जापान ने किरोबो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर भेजा था। 2019 में रूस ने फेडोर नाम के रोबोट को ISS पर भेजा था।

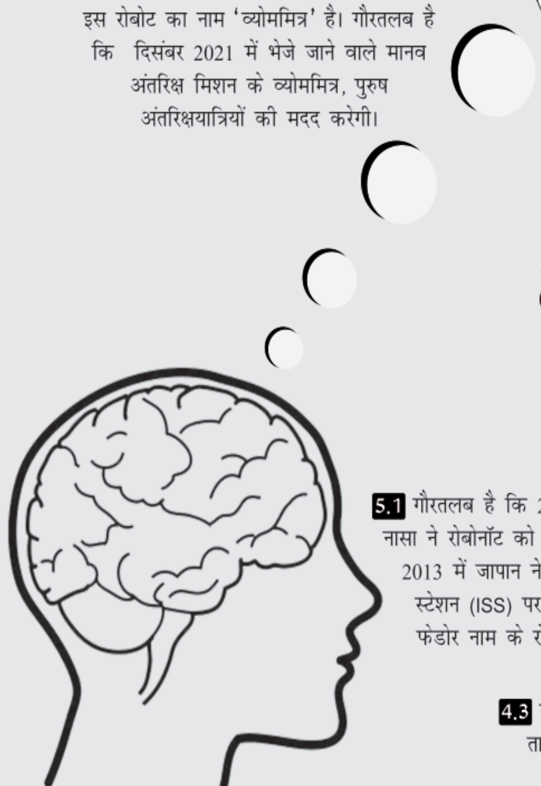

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प

संदर्भ

1.1 भारत सरकार ने स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर उनकी 145वीं जयंती (2 अक्टूबर, 2014) पर, 'स्वच्छ भारत अभियान या 'स्वच्छ भारत मिशन' शुरू किया।

1.2 इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, (2 अक्टूबर, 2019 तक) पर 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके 4,041 वैधानिक शहरों और कस्बों में फैले खुले में शौच को खत्म करना था।

स्वच्छ भारत अभियान

2.1 यह अभियान एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से इसमें शामिल होने और अपने आसपास सफाई रखने का आग्रह किया।

2.2 यह अभियान सीधे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है और इसकी कामयाबी न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में योगदान करेगी, बल्कि इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

2.3 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पाने वाला, देशव्यापी, दूरदर्शी कार्यक्रम है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य

3.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प पहल 2015 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार के संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता व स्वास्थ्यकारिता और संक्रमण नियंत्रण कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

3.2 स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है और हर साल प्रत्येक स्तर पर अधिकतम अंक पाने वाले संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान कर मान्यता दी जाती है।

3.3 इस योजना से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, स्वास्थ्यकारिता और संक्रमण-नियंत्रण कार्यों के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए आकलन और समीक्षा की संस्कृति विकसित हुई है।

3.4 वर्ष 2015-16 में जहाँ इसमें 10 स्वास्थ्य संस्थानों ने भागीदारी की थी वहीं वर्ष 2018-19 में इसमें भाग लेने वाले केन्द्र सरकार के संस्थानों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

3.5 इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि "स्वास्थ्य ग्राहकों, मरीजों की आवाज" को सुना जाए और वे जिस भी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में जाते हैं उनमें से प्रत्येक के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए और 'मेरा अस्पताल' का डाटा जिला अस्पतालों के लिए कायाकल्प अंकों के साथ जोड़ दिया गया है।

अन्य पहल

4.1 कई राज्यों ने महिला आरोग्य समितियों और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियों को प्रभावी बनाने के लिए अभिनव तरीके अपनाए हैं।

4.2 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) भी शौचालय निर्माण और उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों के साथ मिलकर काम करती हैं।

उपलब्धियाँ

5.1 स्वच्छ भारत अभियान के तहत उपलब्धियों की काफी सराहना हुई है। अक्टूबर 2014 में इसकी शुरूआत से अब तक एक करोड़ घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं, लगभग 6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त गांव घोषित किया जा चुका है और 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश अब खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।

5.2 यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की लहर पैदा कर सकती है और यह सभी राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण संभव हो पाया है।

5.3 स्वच्छता की आदतों से न केवल समग्र स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त हुए हैं (अस्पताल-अधिग्रहीत संक्रमण में कमी, एंटीबायोटिक उपयोग में कमी आदि) बल्कि स्वच्छ स्वास्थ्य संस्थानों ने लोगों को अपने घर और आसपास के वातावरण को भी साफ रखने का संदेश दिया है।

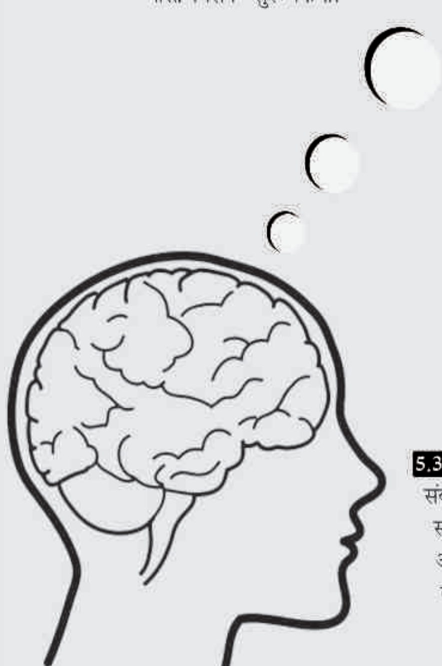

वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index -2019) जारी किया गया है।

भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति

2.1 ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक भारत कुल 180 देशों के भ्रष्टाचार सूचकांक में 80वें स्थान पर है। इस सूची में भारत को 41 अंक मिले हैं।

2.2 गौरतलब है कि 2018 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की 78वीं रैंकिंग थी जबकि 2017 में वह 81वें और 2016 में 79वें स्थान पर था।

अन्य देशों की स्थिति

3.1 भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूची में 120वें स्थान पर है। 80वीं रैंकिंग पर भारत-चीन के अलावा संयुक्त रूप से बेनिन, घाना और मोरक्को जैसे देश हैं।

3.2 सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड उसके साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। इसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे का नंबर आता है।

3.3 भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान ही एकमात्र देश है, जहां भ्रष्टाचार कम है। भूटान 68 अंकों के साथ 25वीं रैंकिंग पर है। बाकी अन्य देशों में स्थिति भारत से भी खराब है। श्रीलंका 93वें, नेपाल 113वें, मालदीव-म्यांमार 130वें और बांग्लादेश 146वें नंबर पर है।

3.4 वैश्विक रैंकिंग में सोमालिया सबसे निचले यानी 180वें नंबर पर है। उससे पहले दक्षिणी सूडान, सीरिया, यमन, वेनेजुएला और सूडान जैसे देश हैं।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सुझाव

4.1 भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए प्रभावी कानून आवश्यक है साथ ही न्यायालय में मामले का त्वरित निपटारा होना चाहिए।

4.2 वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने और ऑडिटिंग एजेंसियों की भूमिका को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

4.3 प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले किसी भी पत्रकार के जीवन को खतरा ना हो।

4.4 भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले सफल देशों में सरकारी खुलेपन, प्रेस की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच काफी अहम है। सूचना तक पहुंच सरकारी निकायों की जवाबदेही को बढ़ाती है, साथ ही साथ एक देश में सार्वजनिक भागीदारी के स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

4.5 भ्रष्टाचार विरोधी नागरिकों की मांग को मजबूत करना और उन्हें सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाना एक स्थायी दृष्टिकोण है जो नागरिकों और सरकार के बीच आपसी विश्वास बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, सामुदायिक निगरानी की पहल ने कुछ मामलों में भ्रष्टाचार का पता लगाने, निधियों के रिसाव को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान दिया है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में

5.1 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना 1993 में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया जिसके बाद इसकी नींव रखी गयी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय बर्लिन (जर्मनी की राजधानी) में है।

5.2 वर्तमान में इसके तहत 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग के लिये इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ शून्य अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है वहीं, 100 अंक ऐसे देश को दर्शाता है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है।

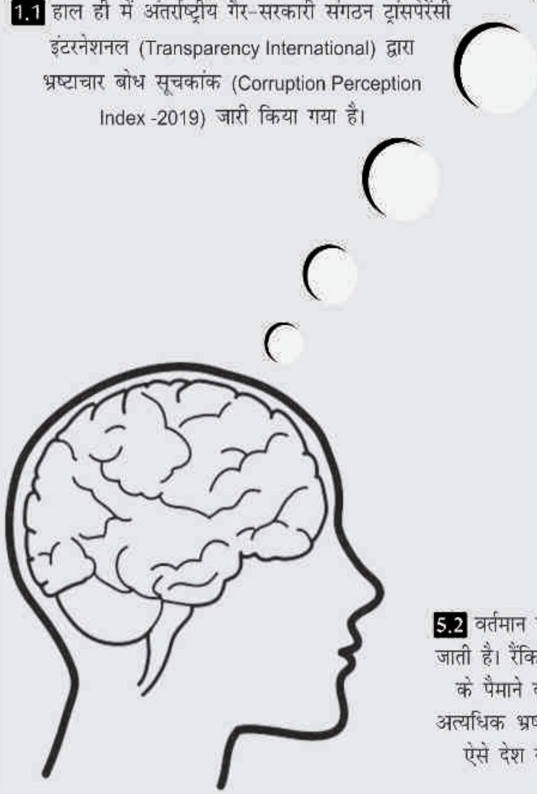

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2020

सुर्खियों में क्यों

1.1 वर्ष 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक में भारत ने 72वां स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि पिछले साल भारत को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक में 80 वां स्थान दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

2.1 यह वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक का सातवां संस्करण है। यह सूचकांक विश्व के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। इसी आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है।

2.2 वैश्विक प्रतिभा के मामले में प्रतिस्पर्द्धा को मापने वाले इस सूचकांक में विश्व के 132 देशों को शामिल किया गया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष पर रहा तथा उसके बाद अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है।

2.3 सूची में शीर्ष दस देशों में स्वीडन चौथे स्थान, डेनमार्क पांचवे स्थान, नीदरलैंड छठे स्थान, फिनलैंड सातवें स्थान, लक्जमबर्ग आठवें स्थान, नॉर्वे नौवें स्थान और ऑस्ट्रेलिया 10वें स्थान पर है।

2.4 चीन 42 वें स्थान पर, रूस 48 वें स्थान पर, ब्राजील 80 वें स्थान पर जबकि दक्षिण अफ्रीका ने सूची में 70 वां स्थान हासिल किया।

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

3.1 विश्व आर्थिक मंच में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हेतु और भी काम किया जा सकता है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मजबूती उसकी बढ़ती प्रतिभा है। रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक शिक्षा श्रेणी में भारत का स्थान 68वां है।

3.2 कजाकिस्तान, भारत और श्रीलंका मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। भारत का व्यावसायिक और तकनीकी कौशल स्कोर 76 है जबकि मिड-लेवल कौशल सूची में भारत ने 113वां स्थान प्राप्त किया है।

जीटीसीआई संकेतकों के आधार

4.1 जीटीसीआई (GTCI) छह संकेतकों के आधार पर रैंकिंग देता है- आकर्षित, बनाए रखना, सक्षम करना, बढ़ना, व्यावसायिक कौशल और वैश्विक ज्ञान कौशल।

भारत को क्या करना चाहिए

5.1 भारत को इस सूचकांक में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिये इसके मानकों को पूरा करने तथा सभी क्षेत्रों में आंतरिक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।

5.2 इसके अलावा भारत को बढ़ती लैंगिक असमानता तथा अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों के प्रति असहिष्णुता के संबंध में भी आंतरिक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक के बारे में

6.1 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक को नवंबर, 2013 से इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है।

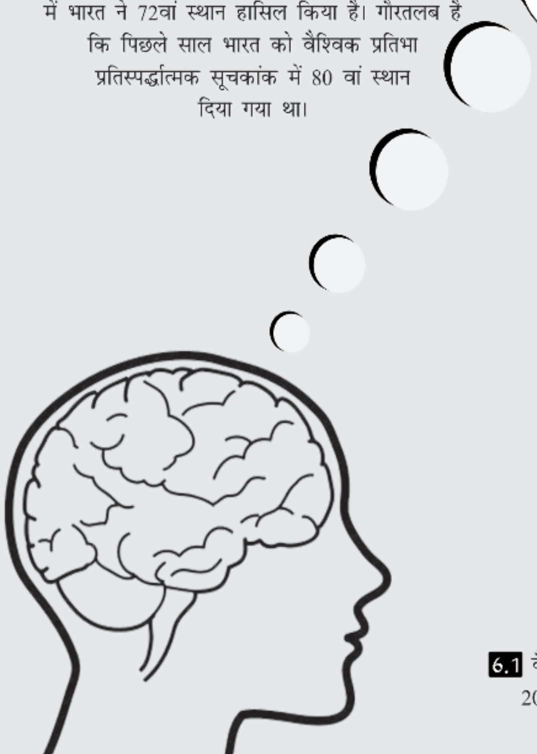

विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड 2020

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड (World Employment and Social Outlook Trends Report- WESO Trends Report), 2020 रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है।

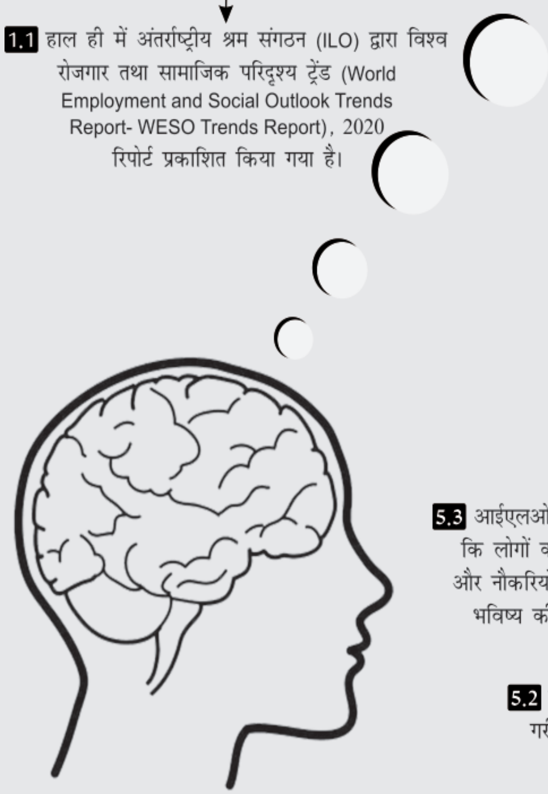

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु

2.1 संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक बेरोजगारी 2020 में करीब 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान है।

2.2 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक बेरोजगारी पिछले नौ वर्षों से स्थिर थी लेकिन जैसे-जैसे वैश्विक आर्थिक विकास धीमी हो रही है और श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में बाजार में नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं।

2.3 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 188 मिलियन लोग बेरोजगार हैं और उन्हें अपने कौशल और क्षमताओं के अनुसार कोई काम नहीं मिल रहा है।

2.4 रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 120 मिलियन लोगों ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है। इसके अतिरिक्त करीब 165 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त आय वाला रोजगार नहीं है। इस प्रकार विश्व में करीब 470 मिलियन लोग रोजगार की समस्या से परेशान हैं।

2.5 रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के जारी रहने के साथ सही काम की कमी के कारण लोगों को अपने काम के माध्यम से बेहतर जीवन जीना और भी मुश्किल हो गया है।

2.6 रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर पर है। वहीं, 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 37 प्रतिशत है।

2.7 रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में अधिकतर लोगों के लिए जीविकोपार्जन का जरिया अभी भी श्रम बाजार है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विकसित देश धीमी वृद्धि का सामना कर रहे हैं। परिणामत: बढ़ती श्रम शक्ति को उपयोग में लाने हेतु पर्याप्त मात्रा में नई नौकरियाँ सृजित नहीं हो पा रही हैं।

2.8 रिपोर्ट के मुताबिक लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति से संबंधित असमानताएँ नौकरी के बाजार को प्रभावित करती हैं।

भारत की स्थिति

3.1 गौरतलब है कि CMIE की अक्तूबर 2019 रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ भारत में शहरी बेरोजगारी दर 8.9% अनुमानित है वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.3% अनुमानित की गई है।

3.2 राज्य स्तर पर सबसे अधिक बेरोजगारी दर त्रिपुरा (27%), हरियाणा (23.4%) और हिमाचल प्रदेश (16.7) में आँकी गई थी।

3.3 वहीं दूसरी तरफ सबसे कम बेरोजगारी दर तमिलनाडु (1.1%), पुदुचेरी (1.2%) और उत्तराखंड (1.5%) में थी।

बढ़ती बेरोजगारी के मुख्य कारण

4.1 वैश्विक आर्थिक मंदी दुनिया में बढ़ती बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। यह वैश्विक रोजगार सृजन को प्रभावित कर रहा है।

4.2 व्यापार प्रतिबंधों और संरक्षणवाद में वृद्धि रोजगार पर अहम प्रभाव डाल रहे हैं जिसके कारण इसे संभावित चिंता के रूप में देखा जा रहा है।

संभावित प्रभाव

5.1 रोजगार के सीमित अवसर लोगों को अधिक मात्रा में अनौपचारिक क्षेत्रों एवं सामाजिक सुरक्षा रहित श्रम में नियोजित होने को प्रेरित करेगा साथ ही इससे आपराधिक प्रवृत्तियों जैसे- चोरी, डकैती इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा।

5.2 गौरतलब है कि वर्ष 2020-2030 में विकासशील देशों में मध्यम या चरम कार्यशील गरीबी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन पर सतत् विकास लक्ष्य 1 (SDG 1) को प्राप्त करने में रूकावट आने का अनुमान है।

5.3 आईएलओ रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को कार्य संबंधी असमानताएं और नौकरियों से उनका निष्कासन बेहतर भविष्य की राह में रोड़ा बन रहे हैं।

पारस्परिक क्षेत्र

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44ए के तहत 'पारस्परिक क्षेत्र' (Reciprocating Territory) घोषित किया गया।

पारस्परिक क्षेत्र क्या है

2.1 आसान शब्दों में इसके मायने ये हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की संघीय और निचली अदालतों से जारी होने वाले आदेश भारत में वैसे ही तामील कराये जा सकते हैं जैसे खुद भारतीय अदालतों के आदेश। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के सेक्शन 44 ए के तहत यह प्रावधान किया गया है।

2.2 संयुक्त अरब अमीरात के देशों के अलावा अदालती आदेशों के पारस्परिक निष्पादन के लिए ब्रिटेन, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिडाड और टोबेगो, न्यूजीलैंड, फिजी आदि कुछ देश भी रिसिप्रोकेटिंग टेरीटरी के रूप में चिह्नित हैं।

2.3 नई अधिसूचना के जरिए दोनों देशों के बीच कानूनी पेंच के निष्पादन में समय और संसाधनों पर होने वाले बेशुमार खर्च में कमी आ सकेगी। यह अधिसूचना, 1999 के समझौते का ही एक हिस्सा है जिसके तहत सिविल और वाणिज्यिक मामलों में सहयोग की बात कही गई है।

विदेशी जेलों में भारतीय

3.1 विदेशी जेलों में 8189 भारतीय कैदी बंद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा, 4206 कैदी खाड़ी सहयोग परिषद्, जीसीसी के छह देशों की जेलों में हैं जहां कुल प्रवासी भारतीय आबादी 90 लाख है।

3.2 इन छह देशों में भी सउदी अरब में 1811 और यूएई में 1392 भारतीय कैदी हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय यूएई के तीन शहरों- अबूधाबी, शारजाह और दुबई में रहते हैं।

3.3 प्रवासी भारतीयों में भी सबसे अधिक संख्या केरल और तमिलनाडु राज्य से हैं। 2011 में यूएई और भारत के बीच कैदियों की अदलाबदली और अपने ही देश में जेल की सजा काटने का प्रावधान किया गया था। 2013 में यह संधि अमल में आ गई लेकिन इसके तहत कितने कैदियों को यूएई की जेलों से निकालकर भारतीय जेलों में रखा गया।

यूएई को एक पारस्परिक देश के रूप में अधिसूचित करने के निहितार्थ

4.1 भारतीय सीपीसी के सेक्शन 13 में कुछ बिंदु भी स्पष्ट किए गए हैं जिनके मुताबिक कुछ स्थितियों में विदेशी आदेश को निर्णायक नहीं माना जा सकता- अगर वो उचित न्यायाधिकरण वाली अदालत से न दिया गया हो या मामले की मेरिट के आधार पर न हो, या अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करता हो, या प्राकृतिक न्याय की अवहेलना करता हो, या फर्जी तरीके से हासिल किया गया हो या किसी भारतीय कानून की अवहेलना को भी अनदेखा करता हो।

4.2 ताजा अधिसूचना के बाद अगर यूएई में कोई प्रवासी भारतीय किसी सिविल मामले में अभियुक्त पाया जाता है तो उसे भारत में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पाएगा और उसे यूएई की अदालत से दी गई सजा भुगतनी होगी।

4.3 जानकारों के मुताबिक यूएई में बैंकों से कर्ज लेकर चंपत होने वालों, घोटालों और तलाक जैसे मामलों के आरोपियों को कानून का सामना करना होगा, चाहे वे भारत क्यों न भाग आए हों।

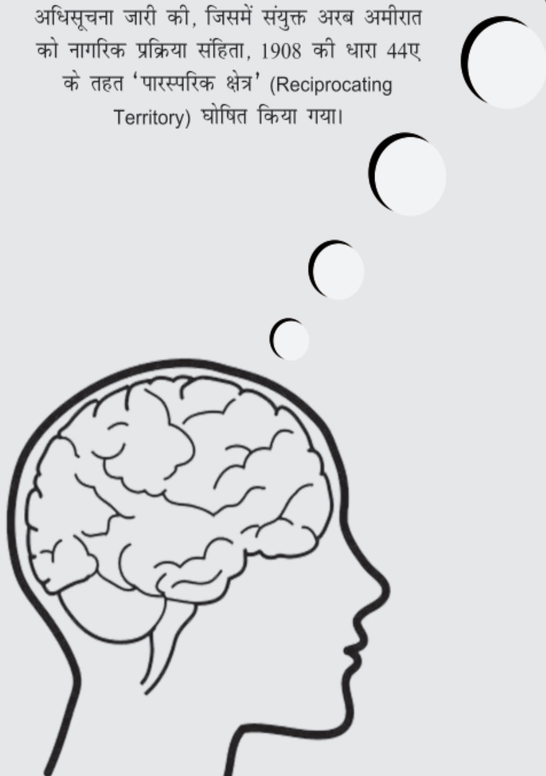

ई-वेस्ट

सुर्खियों में क्यों

1.1 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की पहली ई-वेस्ट क्लीनिक खोली जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) की प्रोसेसिंग के लिए भोपाल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना है।

ई-वेस्ट क्या है

2.1 जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लम्बे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने/खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई-वेस्ट कहा जाता है, जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी/टेलीविजन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि।

2.2 ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी वस्तुएँ जिन्हें हम रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

भारत में ई-वेस्ट

3.1 ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2017 ने अनुमान लगाया कि भारत लगभग 20 लाख टन ई-कचरे का उत्पादन करता है, जिनमें लगभग 82% निजी उपकरण हैं।

3.2 एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि कंप्यूटर उपकरण ई-कचरे का लगभग 70% हिस्सा है, इसके बाद दूरसंचार उपकरण जैसे फोन (12%), बिजली के उपकरण (8%) और चिकित्सा उपकरण (7%) घरेलू ई-कचरे से बच जाते हैं।

3.3 भारत में उत्पन्न ई-कचरे का केवल 1.5% पुनर्नवीनीकरण होता है। वर्तमान में भारत में ई-कचरे के बाजार का आकार 3.2 मिलियन मैट्रिक टन है और 2020 के अंत तक इसके 20 मिलियन मैट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है।

3.4 भारत में ई-कचरे में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र (19.8 प्रतिशत) का है, वह सिर्फ 47,810 टन कचरे को सालाना रिसाइकिल कर दोबारा प्रयोग के लायक बनाता है।

ई-वेस्ट से नुकसान

4.1 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कार्सेनोजेन्स- डाईबेंजो पैरा डायोक्सिन (टीसीडीडी) एवं न्यूरोटॉक्सिन्स जैसी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। इन गैसों से मानव शरीर में प्रजनन क्षमता, शारीरिक विकास एवं प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है।

4.2 साथ ही हार्मोनल असंतुलन व कैंसर होने की संभावनायें बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तथा क्लोरो-फ्लोरो कार्बन भी जनित होती है जो वायुमण्डल व ओजोन परत के लिये हानिकारक है।

4.3 जानकारों का मानना है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं, जिन्हें जहरीला माना जा सकता है और जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिये घातक होते हैं।

4.4 ई-कचरे को जब तोड़ा या फेंका जाता है तो इनसे मरकरी, लेड, ग्लास, जिंक, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि अन्य हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन होता है जो हवा, जल में मिलकर आपके शरीर में पहुंचते हैं और बीमार करते हैं। यह तत्व जमीन में मिलकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी नष्ट करते हैं।

4.5 ई-वेस्ट से निकलने वाले केमिकल लिवर, किडनी पर असर डालने के अलावा कैंसर, लकवा जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस कचरे से जमीन भी खराब हो रही है।

सरकारी प्रयास

5.1 2018 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में ई-कचरे के प्रबंधन के लिए ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन किया है। इन नियमों को अब ई-वेस्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 कहा जाता है।

5.2 सीपीसीबी (CPCB) के अनुसार 2017-18 के दौरान 69,414 मीट्रिक टन ई-कचरे का संग्रहण, विघटन और पुनर्चक्रण किया गया।

चुनौतियां

6.1 देश में ई कचरे की मात्रा में लगातार इजाफा होता जा रहा है जिस हिसाब से देश में ई कचरा पैदा हो रहा है उस हिसाब से उसके निपटारे की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से इसमें लगातार इजाफा हो रहा है।

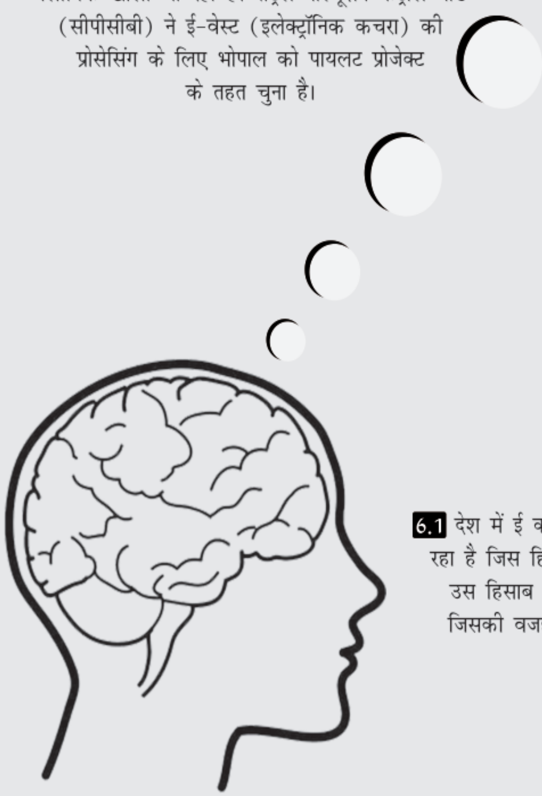

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. व्योममित्र

प्र. व्योममित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. व्योममित्र गगनयान मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगी।
2. व्योममित्र अंतरिक्ष में होने वाले हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः महिला रोबोट गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नहीं जाएगी। इसे सिर्फ गगनयान मिशन के पहले मानवरहित लॉन्चिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। व्योममित्र अपने सेंसर के जरिए यह पता करेगी कि गगनयान के कैमरे, स्पीकर, माइक्रोफोन, दिशा निर्धारक यंत्र आदि सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था।
2. इस अभियान का उद्देश्य 2019 तक 19 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना था।
3. इस अभियान का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत सरकार ने स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर उनकी 145वीं जयंती (2 अक्टूबर, 2014) पर, 'स्वच्छ भारत अभियान' या 'स्वच्छ भारत मिशन' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, (2 अक्टूबर, 2019 तक) पर 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके 4,041 वैधानिक शहरों और कस्बों में फैले खुले में शौच को खत्म करना था। इस प्रकार कथन 1 व 3 सही हैं जबकि कथन 2 गलत है। ■

3. वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019

प्र. वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 80वें स्थान पर है।
2. वर्तमान में इसके तहत 180 देशों को रैंकिंग दी जाती है।
3. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय लन्दन में है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index-2019) जारी किया गया है। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 80वें स्थान पर है। इस सूची में भारत को 41 अंक मिले हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय बर्लिन (जर्मनी की राजधानी) में है। वर्तमान में इसके तहत 180 देशों को रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग के लिये इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ शून्य अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है वहीं, 100 ऐसे देश को दर्शाता है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं जबकि कथन 3 गलत है। ■

4. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2020

प्र. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2020 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक में 72वां स्थान दिया गया है।
2. इस सूची में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष पर रहा।
3. जीटीसीआई (GTCI) छह संकेतकों के आधार पर रैंकिंग देता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः वर्ष 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक में भारत ने 72वां स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि पिछले साल भारत

को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक में 80 वां स्थान दिया गया था। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और सिंगापुर को तीसरा स्थान मिला है। जीटीसीआई (GTCI) छह संकेतकों के आधार पर रैंकिंग देता है – आकर्षित, बनाए रखना, सक्षम करना, बढ़ना, व्यावसायिक कौशल और वैश्विक ज्ञान कौशल। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

5. विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड 2020

प्र. विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड 2020 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 3.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है।
2. अक्तूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई, जो अगस्त 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है।
3. राज्य स्तर पर सबसे अधिक बेरोजगारी दर त्रिपुरा में दर्ज की गयी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक बेरोजगारी 2020 में करीब 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक बेरोजगारी पिछले नौ वर्षों से स्थिर थी लेकिन जैसे-जैसे वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो रहा है और श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में बाजार में नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। अक्तूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई, जो अगस्त 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य स्तर पर सबसे अधिक बेरोजगारी दर त्रिपुरा (27%), हरियाणा (23.4%) और हिमाचल प्रदेश (16.7) में आँकी गई। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

6. पारस्परिक क्षेत्र

प्र. पारस्परिक क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विधि और न्याय मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात को पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया है।
2. अगर यूएई में कोई प्रवासी भारतीय किसी सिविल मामले में अभियुक्त पाया जाता है तो उसे भारत में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पाएगा।
3. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के सेक्शन 44ए के तहत यह प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44ए के तहत 'पारस्परिक क्षेत्र' (reciprocating territory) घोषित किया गया। आसान शब्दों में इसके मायने ये हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की संघीय और निचली अदालतों से जारी होने वाले आदेश भारत में वैसे ही तामील कराये जा सकते हैं जैसे खुद भारतीय अदालतों के आदेश। ताजा अधिसूचना के बाद अगर यूएई में कोई प्रवासी भारतीय किसी सिविल मामले में अभियुक्त पाया जाता है तो उसे भारत में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पाएगा और उसे यूएई की अदालत से दी गई सजा भुगतनी होगी। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

7. ई-वेस्ट

प्र. ई-वेस्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी वस्तुएँ बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं।
2. ई-कचरे को जब तोड़ा या फेंका जाता है तो इनसे मरकरी, लेड, ग्लास, जिंक, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि अन्य हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी वस्तुएँ जिन्हें हम रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ई-कचरे को जब तोड़ा या फेंका जाता है तो इनसे मरकरी, लेड, ग्लास, जिंक, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि अन्य हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन होता है जो हवा, जल में मिलकर आपके शरीर में पहुंचते हैं और बीमार करते हैं। यह तत्व जमीन में मिलकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी नष्ट करते हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. जेयर मेसियास बोल्सोनारो हाल ही में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं?

-ब्राजील

2. केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6ठीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है?

-लद्दाख

3. ग्रीनपीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?

-झरिया

4. किस राज्य सरकार ने 'शिव भोजन' योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है?

-महाराष्ट्र

5. हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया?

-लेबनान

6. विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया?

-दीपिका पादुकोण

7. किस राज्य सरकार ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' लॉन्च की है?

-उत्तर प्रदेश

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. तटीय बालू खनन, पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभावों का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए।

2. अनाज वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जा सकते हैं? चर्चा कीजिए।

3. क्या आप इस कथन सहमत हैं कि 'पक्षपात पूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है'? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

4. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ मौजूद हैं?

5. भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए दबाव समूहों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं? चर्चा कीजिए।

6. दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है?

7. किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. 'एक्सनोबॉट्स' रोबोट

- विज्ञान और तकनीक के इस युग में होने वाले आविष्कारों से दुनिया अचंभित है। हाल ही में ऐसा ही कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया है उन्होंने पहली बार जीवित रोबोट का निर्माण किया है। इस रोबोट को जिंदा होने के श्रेणी में रखा जा सकता है।
- गौरतलब है कि इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। वैज्ञानिकों ने मेंढक के भ्रूण से स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं को फिर से तैयार किया है और उन्हें पूरी तरह से नया रूप दिया है।
- विदित हो कि रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान से दक्षिण अफ्रीका तक के उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलीय मेंढक की प्रजाति जेनोपस लाविस (Xenopus laevis) के नाम पर रखा गया है।
- इस नए बनाए रोबोट को 'एक्सनोबॉट्स' का नाम दिया गया है।

विशेषता

इसका प्रयोग मेडिकल साइंस के क्षेत्र में किया जा सकता है-

- रोबोट के जरिए यह रोगी के शरीर के अंदर दवा ले जाने या इस तरह के अन्य काम समान कार्य करने में भी मदद कर सकते हैं। इन्हें पारंपरिक रोबोट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। न ही इन्हें जानवरों की किसी प्रजाति का हिस्सा कह सकते हैं।
- वह ऐसे प्राणियों को विकसित कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है या फिर इंसानी नसों में जाकर इलाज में मदद कर सकते हैं। विदित हो कि इस नए शोध के परिणाम 'प्रॉसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' में प्रकाशित हुए थे।
- इसके आलावा जेनोबोट्स पेलोड उठाकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं (एक दवा की तरह जो रोगी के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर जाने की क्षमता रखती है) और घायल होने पर खुद को ठीक कर सकते हैं।
- इन जीवित रोबोटों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे- रेडियोधर्मी संदूषण की खोज करना, महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक को इकट्ठा करना आदि। ■

2. भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में ऑपरेशन 'वनीला' की शुरूआत की

- हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन 'वनीला' की शुरूआत की है। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और राहत उपलब्ध कराने हेतु इस ऑपरेशन की शुरूआत की है।
- भारतीय युद्धपोत ऑपरेशन 'वनीला' के अंतर्गत मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदा मिशन चलाएगा। भारतीय नौसेना का विशाल उभयचर जहाज आपदाग्रस्त मेडागास्कर को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

'वनीला' ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया

- 'वनीला' ऑपरेशन को चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद शुरू किया गया है। भारतीय युद्धपोत तूफान डायने की वजह से अस्तव्यस्त जनजीवन को राहत सामग्री मुहैया करा रहा है।

ऑपरेशन 'वनीला' से संबंधित मुख्य बिंदु

- भारतीय दूतावास और मेडागास्कर सरकार के संयुक्त तत्वावधान में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के जहाज वहां चिकित्सा शिविर, भोजन और पानी उपलब्ध कराने सहित अन्य राहत सामग्री लेकर रवाना हो गये हैं।
- भारतीय युद्धपोत 'वनीला' ऑपरेशन के अंतर्गत मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदा मिशन चलाएगा।
- भारतीय नौसैनिक तूफान के बाद आई बाढ़ से राहत हेतु लोगों के बीच दवाएं और खाद्य सामग्री बांट रहे हैं।

मेडागास्कर के बारे में

- मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है।
- मेडागास्कर ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।
- यहाँ विश्व की पाँच प्रतिशत पादप और जीव प्रजातियाँ मौजूद हैं। मेडागास्कर का जलवायु बहुत अधिक परिवर्तनशील है।
- सरकारी एजेंसियों के अनुसार, भारत राष्ट्रीय आपदा के दौरान मेडागास्कर के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। ■

3. विश्व आर्थिक मंच की पहल से जुड़ा भारत

- भारत हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के दुनिया भर में लोगों को नये परिवेश के मुताबिक पुनः हुनरमंद बनाने की पहल से जुड़ गया है।
- भारत सरकार इस अभियान के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ी है। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक दुनियाभर में एक करोड़ लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध करा कर क्षेत्र में क्रांति लाना है।
- इस योजना का मकसद कर्मचारियों को इस रूप से कुशल करना है जिससे की भविष्य में प्रौद्योगिकी में आने वाले बदलाव से उन पर कोई असर नहीं हो। साथ ही नये हुनरमंद कामगार उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्थाओं को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये मदद करना है।
- इस पहल के संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। कारोबारी सहयोगियों में पीडब्ल्यूसी, सेल्सफोर्स, मैनपावर ग्रुप, इन्फोसिस, लिंक्डइन, कोरसेरा इंक और द एडेको ग्रुप शामिल हैं।
- डब्ल्यूईएफ ने कहा कि इस तरह के सार्वजनिक-निजी प्रयासों से एक अरब लोगों को पुनः हुनरमंद बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लिंक्डइन हुनरमंद क्रांति पहल के लिये डेटा भागीदार है।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका उदेश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। ■

4. नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट

- जैव विविधता को नुकसान और जलवायु परिवर्तन से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते दुनिया की लगभग आधी अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का डर है।
- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट 'नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट' के मुताबिक प्रकृति पर दुनिया की 44,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर है।
- यह दुनिया के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब आधा है। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवीय गतिविधियों के चलते दुनिया की करीब 25 प्रतिशत पौधे और जीव प्रजातियों को खतरा है।
- लाखों प्रजातियां खत्म होने के संकट का सामना कर रही हैं। चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका में आर्थिक तौर पर प्रकृति पर निर्भर उद्योगों की मात्रा सबसे अधिक है।
- अध्ययन में 163 उद्योग क्षेत्रों और उनकी आपूर्ति शृंखलाओं का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि दुनिया की लगभग आधी जीडीपी प्रकृति पर या उससे मिलने वाली सेवाओं पर निर्भर है।
- उदाहरण के तौर पर परागण, जल गुणवत्ता और बीमारियों पर नियंत्रण तीन ऐसी प्राकृतिक सेवाएं हैं जो पारिस्थितिकी उपलब्ध करा सकती है।
- रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 44,000 अरब डॉलर जीडीपी प्रकृति और उसकी इन्हीं सेवाओं पर निर्भर है। ऐसे में प्रकृति को होने वाले नुकसान से अर्थव्यवस्था पर भी जोखिम है।
- करीब 4,000 अरब डॉलर का निर्माण उद्योग, 2,500 अरब डॉलर का कृषि उद्योग और 1,400 अरब डॉलर का खाद्य एवं पेय उद्योग उन तीन बड़े उद्योगों में से है जो बड़े पैमाने पर प्रकृति पर निर्भर हैं। इसका कुल योग जर्मनी की अर्थव्यवस्था के करीब-करीब दोगुने के बराबर है। ■

5. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है।
- अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का उपयोग करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा हेतु सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सरकार को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है।
- इस कानून के अंतर्गत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को ये लगे तो कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है एवं

उसे गिरफ्तारी की नौबत आ रही है तो वे उसे गिरफ्तार करवा सकती है।

- यह कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था हेतु खतरा महसूस हो। इस कानून को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बनाया गया था।
- इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आवश्यकतानुसार, तीन-तीन महीने हेतु गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकृत कर देती है तो इसे सात दिन के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। ■

6. ब्रेक्जिट विधेयक को ब्रिटेन की संसद से मंजूरी

- ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निकल जायेगा।
- इस समझौते के साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन (EU) से अलग होने वाला पहला देश बन जाएगा।
- विदित हो कि ब्रेक्जिट समझौते के पक्ष में 330 वोट जबकि विरोध में 231 वोट पड़े थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमंस ने 09 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ईयू से अलग होने के समझौते को 231 के मुकाबले 330 मतों से मंजूरी प्रदान कर दी।
- ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया 'ब्रेक्जिट' के नाम से जानी जाती है।
- ब्रिटेन साल 1973 में 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। ब्रेक्जिट के साथ ब्रिटेन की लगभग पांच दशक पुरानी सदस्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन ऐसा करने वाला पहला देश होगा।

यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ (ईयू) 28 देशों का शक्तिशाली समूह है। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से जुडे हुए हैं। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है।
- यूरोपीय संघ सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक तरह की व्यापार, मत्स्य, क्षेत्रीय विकास की नीति पर अमल करता है।
- यूरोपीय संघ ने साल 1999 में साझी मुद्रा 'यूरो' की शुरूआत की जिसे पंद्रह सदस्य देशों ने अपनाया। यूरोपीय संघ को साल 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ■

7. बोडो शांति समझौता

- केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2020 को असम के खतरनाक उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- लंबे समय से अलग बोडो राज्य की मांग करते हुए आंदोलन चलाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसी के साथ इन संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात की और बोडोलैंड की मांग नहीं करने का दावा किया है।

बोडो समझौते की मुख्य विशेषताएँ

- बोडोलैंड आंदोलन के 1550 कैडर 130 हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि बोडो समुदाय के लोगों के समावेशी विकास का प्रयास किया जाएगा।
- इस समझौते के बाद केंद्र सरकार को उम्मीद है कि एक संवाद और शांति प्रकिया के अंतर्गत उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने का सिलसिला शुरू होगा।
- इस समझौते के अंतर्गत इस गुट के सदस्यों को आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएगी, इसकी मांग ये गुट पिछले कई दिनों से कर रहा था।
- केंद्र सरकार ने इस समझौते से पहले ये साफ किया है कि असम की एकता बरकरार रहेगी तथा उसकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।

बोडो विवाद

- असम में बोडोलैंड का मुद्दा तथा इससे जुड़ा विवाद छह दशक पुराना है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वे साल 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है।
- बोडो का कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी आजीविका एवं पहचान को खतरा है।
- साल 1980 के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ तीन धाराओं में बंट गया था। नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने पहली धारा का नेतृत्व किया जो अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा संगठन बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स (बीटीएफ) है जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। तीसरा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) था जिसने समस्या के राजनीतिक समाधान की मांग की। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म

- नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) के लिए अपना विजन जारी किया।
- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक पहुंच को सर्वसुलभ कराना है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के नवीनतम डेटा सेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
- यह प्लेटफॉर्म इन सभी डेटा सेट को सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करेगा तथा इसके साथ ही विश्लेषण एवं संकल्पना के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करायेगा। एनडीएपी ऐसे दृष्टिकोण को अपनायेगा, जो उपयोगकर्ताओं (यूजर) पर केन्द्रित होगा।
- एनडीएपी एक ऐसे सरल और सहज पोर्टल पर डेटा की पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिसे विभिन्न हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।
- एनडीएपी ऐसे विभिन्न प्रारूपों (फॉर्मेट) के मानकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिनमें समस्त सेक्टरों में डेटा प्रस्तुत किया जाता है। यह नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, अन्वेषकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों एवं नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा।
- गौरतलब है कि 'भारत ने नीति निर्माताओं एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए डेटा सृजित करने एवं उनके उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय आ गया है कि इन प्रयासों में और तेजी लाकर डेटा परिवेश को अधिक से अधिक सुदृढ़ किया जाए। एनडीएपी का मिशन एकल स्थल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित होना है।
- नीति आयोग ने गवर्नेंस के सभी क्षेत्रों में डेटा के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया है। अत: यह स्वाभाविक है कि नीति आयोग राष्ट्र को एक ऐसा सरल एवं अत्यंत उपयोगी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मिशन की अगुवाई कर रहा है, जहां विभिन्न डेटा सेट तक पहुंच को एक साथ संभव किया जा सकता है। यह कमी डेटा परिवेश में लम्बे समय से रही है, जिसे नीति आयोग अब पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
- एनडीएपी ने एक ऐसा सरल, पारस्परिक संवादात्मक, विजुअल एवं सुदृढ़ प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जहां केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न डेटा सेटों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- एक अंतर-मंत्रालय समिति इस प्लेटफॉर्म के विकास की दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नजर रखेगी। इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों की एक टीम को एक सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। इस प्रयास में सफलता दरअसल विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं सहायता पर निर्भर है।
- विदित हो कि एनडीएपी को विकसित करने में एक साल का समय लग जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के पहले वर्जन को वर्ष 2021 में लॉन्च किये जाने की आशा है। इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा और प्लेटफॉर्म को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उपयोगकर्ताओं तथा हितधारकों से प्राप्त होने वाली जानकारियों एवं सूचनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा।

2. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार 2020

- किसी भी आपदा के बाद, कई संगठन और व्यक्ति प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए चुपचाप किंतु प्रभावी तरीके से काम करते हैं। प्रारंभिक चेतावनी, रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, राहत और पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान/नवाचारों के लिए भी काफी काम किया जाता है।

- भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए, भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।
- यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार किया गया। पुरस्कार के लिए नामांकन 1 अगस्त, 2019 से जारी किए गए थे। पुरस्कार के चयन के लिए, दो उच्च स्तरीय समितियों द्वारा नामांकन की घोषणा की गई थी।
- वर्ष 2020 के लिए, आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र, उत्तराखंड (संस्था श्रेणी में) और श्री कुमार मुन्नन सिंह (व्यक्तिगत श्रेणी) को आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- संस्था के विजेता होने की स्थिति में, उसे एक प्रमाणपत्र और 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यह नकद पुरस्कार केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए विजेता संस्था द्वारा उपयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत विजेता को प्रमाणपत्र और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 के लिए, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 8वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में अपने सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था।

3. पद्म पुरस्कार 2020

- देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है।
- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, अर्थात- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं।
- 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्मश्री' किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं।
- इस वर्ष राष्ट्रपति ने 4 युगल मामलों (एक युगल मामलों का मतलब एक पुरस्कार) सहित नीचे दी गई सूची के अनुसार 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है।
- इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
- पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं हैं। इस सूची में विदेशियों की श्रेणी के 18 व्यक्तियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई और 12 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।

4. राष्ट्रीय मतदाता दिवस

- हाल ही में पूरे देश में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) मनाया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- एनवीडी 2020 के लिए विषयवस्तु थी "मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता" जिसने अधिकतम भागीदारी और सूचित और नैतिक मतदान सुनिश्चित करने हेतु सभी के लिए निर्वाचन साक्षरता की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की प्रतिबद्धता दोहराई।
- यह वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपनी यात्रा के 70 साल पूरे किये हैं।
- राष्ट्रपति ने विशेष रूप से सुदूरतम क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने की पहल की सराहना की जिससे कि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके और उन्हें मतदान का अधिकार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप 67.47% का ऐतिहासिक मतदान हुआ।
- राष्ट्रपति ने विशेष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत का भी उल्लेख किया, जिसने सभी भारतीय पात्र नागरिकों को भारतीय गणराज्य की यात्रा की शुरूआत से ही मतदान करने में मदद की। राष्ट्रपति ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले लोकसभा आम चुनाव में लिंग अंतर 0.1% से कम हो, किए गए विशेष प्रयासों की भी सराहना की।
- इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पद्धति अभ्यास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- जिला प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के साथ नए पात्र मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने, मतदान के अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए एसवीईईपी एप्स लॉन्च करने, नवोन्मेषी माध्यमों के साथ मतदान का

संचालन करने, मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करने तथा गंभीर चक्रवाती तूफान या सुरक्षा ग्रिड तंत्र के समन्वय जैसी विषम परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए सराहना की। इसके अतिरिक्त, सीएसओ, सरकारी विभागों और मीडिया हाउसों को मतदाता जागरूकता और आउटरीच के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

- इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दो पुस्तकों का विमोचन किया गया और वे माननीय राष्ट्रपति को भेंट की गई। पहली पुस्तक "बिलीफ इन द बैलट-II" थी, जो भारतीय चुनावों के बारे में देश भर से 101 मानव कथाओं का एक संकलन है। चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं दोनों की साहसी, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों का यह संकलन चुनाव कर्मियों के साहस, बलिदान और समर्पण के साथ-साथ मतदाताओं के उत्साह और प्रतिबद्धता के अनुभवों को प्रस्तुत करता है।
- दूसरी विमोचित पुस्तक द सेंटेनरियन वोटर्स: सेंटिनल्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी थी। इस संग्रह में पूरे भारत के 51 व्यक्तियों की कहानियों और अनुभवों को शामिल किया गया है, जो दुर्गम इलाकों, खराब स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों का सामना करने के बाद घर से बाहर आये और मतदान किया।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
- एनवीडी समारोह का मुख्य उद्देश्य खासकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और उनके नामांकन को अधिकतम करना है। देश के मतदाताओं को समर्पित, इस दिन का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने में किया जाता है।

5. विश्वविद्यालयों में महिला पीठों की स्थापना

- राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि वह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 10 पीठों का गठन करेगा, ताकि अनुसंधान गतिविधियों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस पहल को 'विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना' का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रशासन, कला, विज्ञान और सामाजिक सुधार में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सहायता देगा।
- इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए देश की बालिकाओं और महिलाओं को प्रेरित करने की योजना है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पीठों का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	विषय	पीठ का प्रस्तावित नाम
1.	प्रशासन	देवी अहिल्याबाई होल्कर
2.	साहित्य	महादेवी वर्मा
3.	स्वतंत्रता सेनानी (पूर्वोत्तर)	रानी गैदिनल्यु
4.	औषधि एवं स्वास्थ्य	आनंदीबाई गोपालराव जोशी
5.	मंच कला	एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी
6.	वन/वन्यजीव संरक्षण	अमृता देवी (बेनीवाल)
7.	गणित	लीलावती
8.	विज्ञान	कमला सोहोनी
9.	कविता एवं रहस्यवाद	लल्ल-दय्द
10.	शैक्षिक सुधार	हंसा मेहता

- प्रति पीठ के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का वित्तीय प्रस्ताव किया गया है और सभी 10 पीठों की स्थापना के लिए हर वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार आरम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए पीठों की स्थापना की जाएगी।
- गौरतलब है कि पीठों की अकादमिक गतिविधियों में अनुसंधान को शामिल किया गया है, जिसके तहत अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ावा देना, जन-नीति बनाने में विश्वविद्यालय/अकादमिक संस्थानों की भूमिका को मजबूत करना और उच्च शिक्षा में अध्यापकों के लिए अल्पकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना और चलाना शामिल है। इन सबको पीठ के अधीन विषय के रूप में रखा गया है।
- अन्य अकादमिक गतिविधियों में अंतर-विश्वविद्यालय/अंतर-महाविद्यालय स्तर पर स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान के लिए संवाद, चर्चा बैठक, सेमीनार/ग्रीष्मकालीन व शरदकालीन स्कूली गतिविधियाँ, लेखों/अनुसंधान पत्रों/रिपोर्टों/पुस्तकों का प्रकाशन और विभागों या स्कूलों में शिक्षण तथा पीएचडी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी शामिल की गई हैं।
- विश्वविद्यालय वार्षिक स्तर पर पीठ की प्रगति की समीक्षा करेंगे और 5 वर्षों के बाद यूजीसी को पीठ की गतिविधियों तथा परिणाम के बारे में अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे। बहरहाल, यूजीसी किसी भी स्तर पर पीठ को कायम रखने के विषय में उसकी समीक्षा कर सकता है।

6. भारत और विश्व बैंक के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) की ऋण राशि में छह वर्ष की अवधि और परिपक्वता अवधि 13.5 वर्ष है।
- दय परियोजना का उद्देश्य छोटे किसानों को प्रतिस्पर्द्धी कृषि मूल्य शृंखलाओं में भाग लेने और राज्य में कृषि-व्यवसाय निवेश की सुविधा प्रदान करना है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य फोकस वस्तुओं की बाजार पहुंच और उत्पादकता बढ़ाना है
- यह परियोजना कृषि तकनीकी सहायता और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वितरित करने और औपचारिक वित्त संस्थानों को ऋण लिंकेज बढ़ाने के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- परियोजना को महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में लागू किया जाएगा जिसके तहत लगभग 1 मिलियन किसान परिवारों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है।
- परियोजना की गतिविधियों में भाग लेने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों में से कम से कम 43% महिलाओं के होने की उम्मीद है।
- यह परियोजना सेनेटरी और फाइटोसैनेट्री (एसपीएस) मानकों में सुधार करेगा और व्यावसायिक विकास सेवाओं में निवेश करेगा जो राज्य में छोटे धारक किसानों की मदद करेगा।

7. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाएं

- हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) में महिलाएं - भविष्य की परिकल्पना करना: नये क्षितिज' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
- विज्ञान के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 'स्टेम' क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र नेतृत्व निर्माण की व्यवस्थाओं, नेटवर्किंग के जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण, करियर के अवसरों और वैज्ञानिकों के साथ पारस्परिक संवाद जैसे विषयों पर आयोजित किए गए।
- इसका उद्देश्य सफल महिला वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों के वास्ताविक उदाहरण देकर 'स्टेम' क्षेत्र में महिलाओं को मिली उल्लेखनीय कामयाबी को दर्शाना था। इसके जरिये 'स्टेम' क्षेत्र से जुड़े रहने के उल्लेखनीय उत्साह के साथ-साथ इससे जुड़ी शानदार उन्नति को भी दर्शाया गया।
- इस दौरान 'स्टेम' क्षेत्र के मध्य-करियर वाले वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों और आकांक्षी युवाओं के बीच परिचर्चाएं एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, ताकि महिलाओं को रोजगार देने तथा करियर में उनकी प्रगति से जुड़ी भावी आवश्यकताओं को सही ढंग से समझने में मदद मिल सके।
- इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में विभिन्न देशों के 'स्टेम' क्षेत्र की प्रख्यात महिला वैज्ञानिक, भारत की युवा एवं वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक एवं उद्यमी शामिल थीं।
- विश्व भर की 'स्टेम' क्षेत्र की लगभग 350 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिनमें अनेक वैज्ञानिक, समाजवादी, उद्यमी, शोधकर्ता, शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल थीं।
- इस सम्मेलन ने युवा विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को 'स्टेम' क्षेत्र की हस्तियों के साथ संवाद एवं नेटवर्किंग करने और 'स्टेम' क्षेत्र में करियर बनाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

क्षेत्रीय संगठन

1. यूएसएमसीए

- ओईसीडी मुक्त व्यापार क्षेत्र को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाएं सामान्य तौर पर समाप्त कर दी जाती हैं जिसमें गैर-सदस्य देशों के साथ कोई साझा व्यापार नीति का अनुपालन नहीं किया जाता।
- उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (North American Free Trade Agreement: NAFTA) तीन उत्तर अमेरिकी देशों का मुक्त व्यापार ब्लॉक है।
- इसके तीन सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको। अमेरिका एवं कनाडा के बीच यह समझौता 1 जनवरी, 1989 को अस्तित्व में आया। 1991 में मैक्सिको के साथ वार्ता आरंभ हुयी उसके पश्चात नाफ्टा 1 जनवरी, 1994 को प्रभावी हुयी।
- डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के कारण इस मुक्त व्यापार ब्लॉक के भविष्य पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। ट्रम्प ने अपने चुनाव प्रचार के समय नाफ्टा को अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित सबसे खराब व्यापार समझौता करार दिया था।
- राष्ट्रपति बनने के पश्चात ट्रम्प आरोप लगाते रहे हैं कि इस मुक्त व्यापार समझौते की वजह से अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां कम हुयी हैं क्योंकि सस्ते श्रम की वजह से कई कंपनियां मैक्सिको चली गईं।

- इसी वजह से अप्रैल 2017 में ट्रम्प ने इस व्यापार समझौते से अमेरिका को अलग करने की धमकी दी थी। नाफ्टा समझौता के अनुसार कोई देश एक महीने का नोटिस देकर इस समझौते से खुद को अलग कर सकता है।
- हालांकि तीनों देशों के बीच लंबी वार्ता के पश्चात् एक समझौता पर नवंबर 2018 में हस्ताक्षर हुआ है जिसे 'यूनाइटेड स्टेट्स-मैक्सिको-कनाडा समझौता (United States-Mexico-Canada Agreement or USMCA)' नाम दिया गया है। इसे नाफ्टा 2.0 भी कहा जा रहा है। 19 जून, 2019 को इस समझौते की अभिपुष्टि करने वाला मैक्सिको पहला देश बना।
- नये समझौता में कतिपय नए बिंदुओं को शामिल किया गया है। मसलन्, शून्य प्रशुल्क का लाभ लेने के लिए ऑटोमोबाइल का 75 प्रतिशत घटक का यूएस, कनाडा या मैक्सिको में बना होना चाहिए। पहले यह 62.5 प्रतिशत था। ऑटोमोबाइल का 40 से 45 प्रतिशत पार्ट ऐसे श्रमिकों द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वर्ष 2023 तक न्यूनतम 16 डॉलर प्रति घंटा अर्जित करता हो।
- कनाडा अपना डेयरी बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोलेगा। ट्रम्प की प्रमुख मांगों में यह मांग भी शामिल रहा है। नये समझौते के साथ 16 साल का सनसेट क्लॉज भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि समझौते की शर्तें 16 वर्षों के पश्चात् समाप्त हो जाएंगी।

2. मर्कोसुर

- लैटिन अमेरिकी साझा बाजार को मर्कोसुर (MERCOSUR) कहते हैं जो मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए स्पैनिश नाम है।
- इस साझा बाजार की स्थापना 1991 में एसुनसियोन की संधि (Treaty of Asuncion) और 1994 में औरो प्रेटो प्रोटोकॉल (Protocol of Ouro Preto) के द्वारा हुयी थी। मर्कोसुर साझा बाजार स्थापना करने में ओलिवोस प्रोटोकॉल की भी भूमिका है।
- इस साझा बाजार में आरंभ में अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं उरूग्वे शामिल थे। बाद में वेनेजुएला एवं बोलिविया भी इस साझा बाजार में शामिल हुए। विदित हो कि वर्ष 2016 में वेनेजुएला को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया।
- इस साझा बाजार के सहायक देशों में चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू एवं सूरीनाम शामिल हैं। इसके सहायक देशों में 'लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेशन एसोसिएशन' (Latin American Integration Association : ALADI) के ऐसे देश शामिल हैं जिनके साथ मर्कोसुर मुक्त व्यापार समझौता करता है। जून 2019 के अंतिम सप्ताह में 20 वर्षों की वार्ताओं के पश्चात यूरोपीय संघ एवं मर्कोसुर ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता को अंजाम दिया।
- यूरोपीय संघ ने इसे अब तक अपने इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया। यूरोपीय संघ के मुताबिक यह समझौता 800 मिलियन (80 करोड़) उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार सृजित करेगा जो आबादी के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा बाजार है। इस व्यापार समझौता का उद्देश्य व्यापार प्रशुल्कों को कम करने या समाप्त करके उपभोक्ताओं के लिए आयातित वस्तुएं सस्ती करनी है।

3. यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ 28 यूरोपीय देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है। यह एक आंतरिक (एकल) बाजार संचालित करता है जो वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं एवं लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करता है।
- 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community : EEC) या साझा बाजार का सृजन किया गया। 1 अप्रैल, 1973 को इस समुदाय में यूके शामिल हुआ। 1986 एकल यूरोपीयन एक्ट हस्ताक्षरित हुआ। इसके माध्यम से एकल बाजार का सृजन कर यूरोपीय देशों की सीमाओं में व्यापार की स्वतंत्र आवाजाही में आ रही समस्याओं को दूर करना था। यह छह वर्षीय कार्यक्रम था। 1993 में 'चार स्वतंत्रताओं' (Four Freedoms) जैसे- वस्तु, सेवा, लोग एवं पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही के द्वारा एकल बाजार का लक्ष्य पूरा हुआ।
- 7 फरवरी, 1992 को 12 देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन एवं यूके ने मास्ट्रिच की संधि (Maastricht Treaty) पर हस्ताक्षर किए तथा यह संधि 1 नवंबर, 1993 को लागू हुयी। इस संधि के द्वारा औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की स्थापना हुयी। इस संधि को यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है।
- इस संधि ने एकल मुद्रा 'यूरो' का आधार रखा तथा कई क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के बीच सहयोग को विस्तारित किया। इस संधि के तीन मुख्य स्तंभ थे: 1. यूरोपीय समुदाय, 2. साझा विदेश एवं सुरक्षा नीति 3. न्याय एवं गृह मामलों पर यूरोपीय सरकारों के बीच सहयोग। इस संधि के द्वारा यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की भी स्थापना की गई। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

4. एंडीयन समुदाय

- एंडीयन समुदाय (Comunided Andina: CAN) चार देशों बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडोर एवं पेरू का व्यापार ब्लॉक है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं उरूग्वे इसके एसोसिएट सदस्य हैं। सीएएन का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है।
- वर्ष 1969 में बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर एवं पेरू के कार्टाजेना समझौता पर हस्ताक्षर के साथ एंडियन समुदाय अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य प्रशुल्क संघ एवं साझा बाजार का निर्माण करना था। वेनेजुएला इस समुदाय में 1973 में शामिल हुआ परंतु 2006 में इसने स्वयं को इस पैक्ट से अलग कर लिया। इसी तरह 1976 में चिली भी इससे अलग हो गया।
- वर्ष 1993 में चारों देशों (पेरू को छोड़कर जिसे निलंबित कर दिया गया था) ने मुक्त व्यापार क्षेत्र का सृजन किया और 1995 में सदस्य देशों ने साझा बाह्य प्रशुल्क (कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ) को स्वीकार किया। 1996 में त्रुजिलो प्रोटोकॉल के द्वारा इस व्यापार समुदाय का नाम एंडीयन समुदाय रखा गया। 2006 में पेरू को पूरी तरह इसमें शामिल किया गया जिससे एंडीयन मुक्त व्यापार क्षेत्र पूर्णतः संचालन में आ गया।
- एंडीयन समुदाय की कुल आबादी 103 मिलियन है और इसकी संयुक्त जीडीपी 1.26 ट्रिलियन है। आज एंडीयन उत्पति वाली 100 प्रतिशत वस्तुएं सीएएन के भीतर प्रशुल्क मुक्त आती जाती हैं।

- सीएएन एवं मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका के प्रमुख ट्रेड ब्लॉक हैं। इन दोनों ने एक-दूसरे के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र सृजित करने के लिए अप्रैल 1998 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया।

5. कैरिकॉम

- कैरीबियन समुदाय (Caribbean Community: CARICOM) कैरीबिया के 15 देशों का समूह है जिसके पाँच एसोसिएट सदस्य भी हैं।
- इसका मुख्यालय जॉर्जटाउन में है। इसके 15 सदस्य हैं: एंटीगुआ व बारबुडा, बहामास, बाराबडोस, बेलिज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मांस्ट्रैट, संत किट्स एवं नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिंस, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद व टोबैगो।
- वर्ष 1972 में कॉमनवेल्थ कैरीबियाई नेताओं ने राष्ट्राध्यक्षों के सातवें सम्मेलन में कैरीबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कैरफ्टा (Caribbean Free Trade Association : CARIFTA) को साझा बाजार में बदलने का कैरीबियन समुदाय के गठन पर सहमत हुए।
- 4 जुलाई, 1973 को चागुआरामास की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही कैरीबियाई समुदाय अस्तित्व में आया। एकल बाजार एवं एकल अर्थव्यवस्था के सृजन के लिए वर्ष 2002 में उपर्युक्त संधि में संशोधन किया गया।

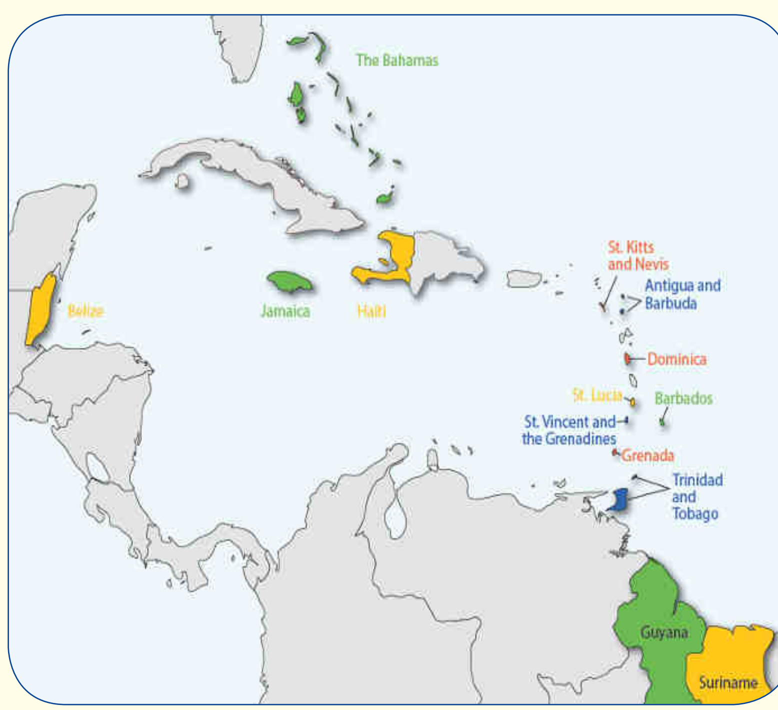

- कैरिकॉम के चार स्तंभ हैं: आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वयन, मानव एवं सामाजिक विकास तथा सुरक्षा।

6. साफ्टा

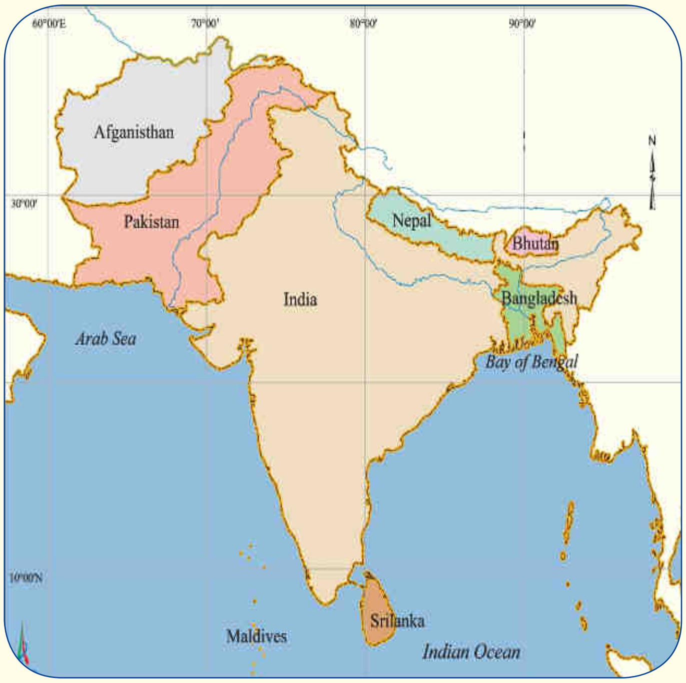

- दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क देशों का मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area: SAFTA) है। इसके फ्रेमवर्क समझौता पर 1 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हुआ जबकि 1 जनवरी, 2006 को यह प्रभावी हुआ। इसने 1993 में हस्ताक्षरित तथा दिसंबर 1995 में लागू सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था यानी साप्टा (SAARC Preferential Trading Arrangement- SAPTA) का स्थान लिया। साफ्टा के हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका।
- साफ्टा के अंतर्गत विभिन्न देशों ने नकारात्मक सूची भी बनायी है। जैसे कि भारत ने 639 वस्तुओं को नकारात्मक सूची में डाला है जिनमें 25 वस्तुएं कम विकसित देशों के लिए तथा 614 वस्तुएं सार्क के शेष देशों के लिए हैं।
- विश्व बैंक की समीक्षा के अनुसार साफ्टा के लागू होने के बावजूद आपसी व्यापार में उतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। विश्व बैंक ने साफ्टा की तुलना आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (आफ्टा) से की है जो 1992 में छह देशों के साथ हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 1999 में 10 हो गयी।
- साफ्टा देशों की बात करें तो पाएंगे कि इनके अंतर-क्षेत्रीय आयात 3 प्रतिशत के आसपास तथा निर्यात 6 से 7 प्रतिशत के बीच स्थिर है।
- सार्क सदस्य 'पैरा टैरिफ' (Para Tariffs) लगाने में भी निपुण हैं। पैरा टैरिफ से तात्पर्य ऐसे प्रशुल्कों से है जो केवल आयात पर लागू होते हैं घरेलू उत्पादन पर नहीं।

7. यूनासुर

- यूनासुर से तात्पर्य है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों का संघ (Union of South American Nations: UNASUR)। यूनासुर के गठन हेतु 23 मई, 2008 को समझौता पर हस्ताक्षर किया गया तथा 11 मार्च, 2011 को यह प्रभावी हुआ। इसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरूग्वे एवं वेनेजुएला शामिल थे।
- यूनासुर का गठन 2008 में तब किया गया था जब शक्तिशाली वामपंथी नेता ह्युगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। परंतु उनके निधन के पश्चात ही कई दक्षिण अमेरिकी देशों का झुकाव संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति होना शुरू हो गया जो इसके गठन के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ जाता है।
- इसका कारण था इन देशों में दक्षिणपंथी नेतृत्व का उभरना। इसका गठन उस समय किया गया था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरीकियों का मुक्त व्यापार क्षेत्र (Organization of American States: OAS) सृजित करने का प्रस्ताव किया था।
- वेनेजुएला के नेतृत्व वाले देशों ने अमेरिकी प्रभुत्व वाले प्रस्तावित मुक्त व्यापार क्षेत्र के बदले दक्षिण अमेरिकी देशों का एक अलग मुक्त व्यापार क्षेत्र गठित करने का प्रस्ताव किया।
- अब यह समूह लगभग निष्क्रिय हो गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अगस्त 2018 में यूनासुर से देश के बाहर जाने की घोषणा की थी।
- अब इस समूह में वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वेडोर, उरूग्वे, गुयाना एवं सूरीनाम बचे हैं। यूनासुर की निष्क्रियता के आलोक में दक्षिणपंथी नेतृत्व वाले दक्षिण अमेरिका देशों ने सैंटियागो में मार्च 2019 में प्रोसुर (PROSUR) नामक एक नए संगठन के गठन की घोषणा की। प्रोसुर, यूनासुर का स्थान लेगा। प्रोसुर में शामिल देश हैं: ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू एवं गुयाना।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)
TARGET 2020

PROGRAMME OBJECTIVE

CAIPTS is a comprehensive and integrated program which will provide CSE Aspirants a good competitive environment, who are appearing in CSE-2020. In addition to this, an integrated guidance mechanism has been included in CAIPTS to keep the aspirants aligned with the true spirit of Civil Service Exam.

APPROACH ANALYSIS

Along with studying basics and reference books it is necessary to examine our knowledge through MCQs based questions which will help to build right attitude towards solving questions and reduce the rate of errors committed by aspirants.

For this, Dhyeya IAS brings "Comprehensive All India Prelims Test Series (CAIPTS)" for the aspirants which will provide a real time environment for upcoming civil services examination.

"Examine Yourself Before Examination"

Total 17 Tests

- ☑ Full GS & CSAT Tests
- ☑ 12 GS Tests + 5 CSAT Tests
- ☑ 2 GS & 2 CSAT Papers (Based on UPSC Previous Years Papers)

FREE GS MODEL TEST FOR ALL
16TH FEBRUARY 2020

Fee (inclusive of all taxes)

OFFLINE		ONLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 5,000/-	For Dhyeya IAS Students	Rs. 2,000/-
For Other Students	Rs. 7,000/-	For Other Students	Rs. 4,000/-

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

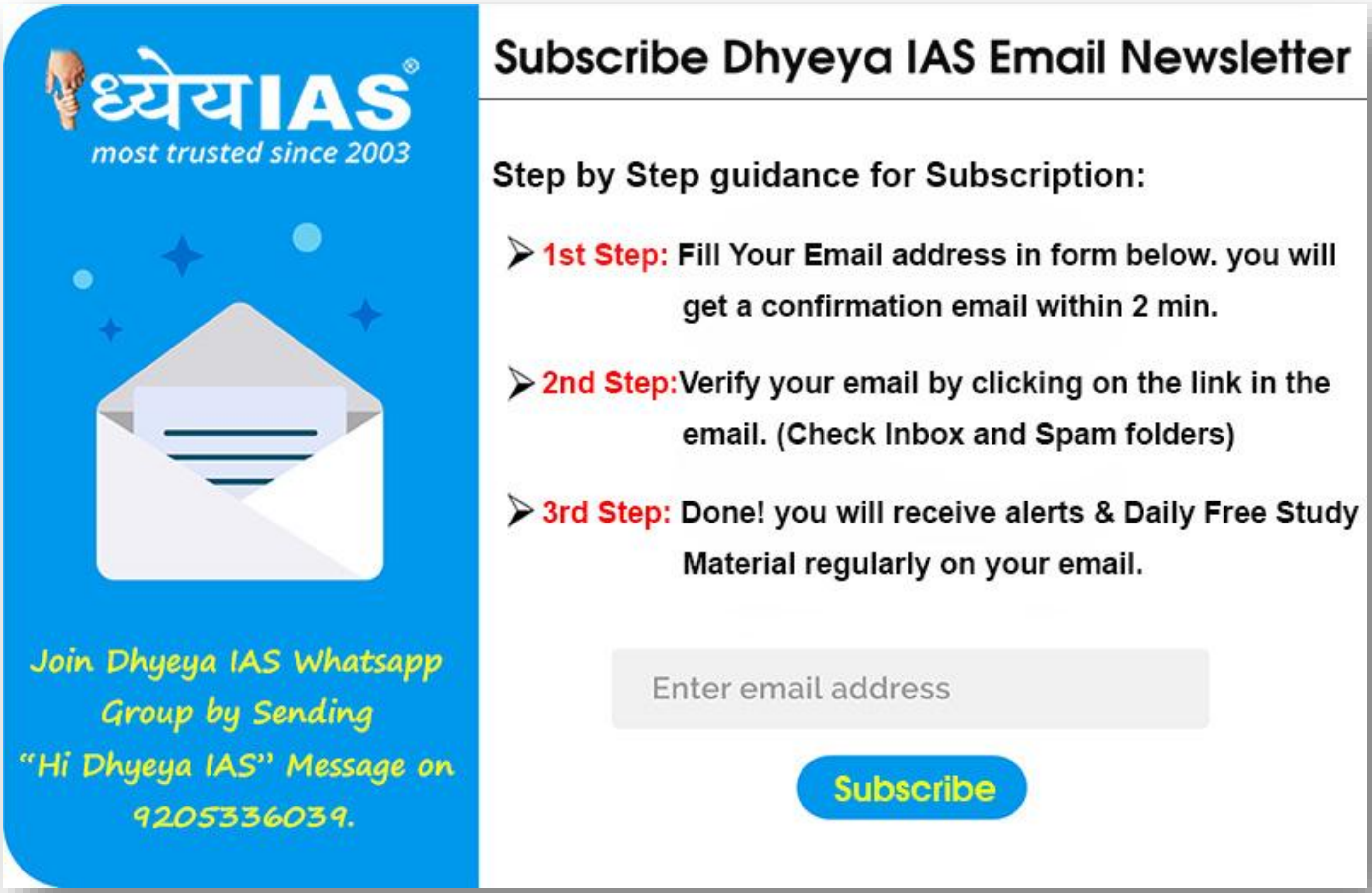

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400